कुरुक्षेत्र

संपादकीय

गरीब ग्रामीणों के स्वास्थ्य की समस्या

भारत गांवों का एक विशाल देश है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जहां यह आशा की गई थी कि देश में आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में विकास का तेज दौर आएगा वहां यह भी आशा की गई थी कि हमारे ग्रामीणों के स्वास्थ्य सुधार की दिशा में भी तेज कदम उठाए जाएंगे। परन्तु गत 34 वर्ष की अवधि में इस दिशा में जो कुछ हुआ वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान हुआ। अभी हाल में इन्दिरा जी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को इसलिए फटकारा कि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ग्रामीणों तथा निर्धनों को नहीं मिल पा रहा है। उनका अनुरोध है कि ऐसे उपाय काम में लाए जाएं जिनसे इन सेवाओं का लाभ गांवों के गरीबों को भी सुलभ हो।

गांवों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अब तक अनेक योजनाएं बनी हैं। स्वास्थ्य केन्द्रों का जाल बिछा दिया गया है। स्वास्थ्य रक्षक कार्यकर्ता भी काफी संख्या में देशभर में नियुक्त कर दिए गए हैं। कहीं-कहीं गांवों में अस्पताल भी खुले हैं। परन्तु कमी यह है कि स्वास्थ्य केन्द्रों में दवा-दारू का अभाव बना रहता है। स्वास्थ्य रक्षक कार्यकर्ता निष्ठापूर्वक काम नहीं करते। डाक्टर शहर छोड़ कर गांवों में जाना पसन्द नहीं करते। फिर ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ कैसे मिल सकता है? जरूरत इस बात की है कि गांवों में जो स्वास्थ्य योजनाएं चालू हैं उन्हें सही तरीके से अमल में लाया जाए और वहां ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियुक्त किए जाएं जिनका गांवों से लगाव हो और अपने कर्त्तव्य के प्रति निष्ठावान हों। स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों में दवा-दारू की पर्याप्त व्यवस्था हो और यह अनिवार्य कर दिया जाए कि प्रत्येक डाक्टर को एक-दो साल की अवधि के लिए गांवों में रह कर ग्रामीणों की सेवा करनी होगी। कैसी विडम्बना है कि जिन डाक्टरों पर देश की करोड़ों रुपयों की राशि खर्च होती है वे देश की सेवा करने के बजाय लोभ-लालच से विदेशों को भाग जाते हैं और गांवों के लोगों की सेवा करने से कतराते हैं।

दूसरी बात यह है कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य की समस्या गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, कुपोषण आदि से भी जुड़ी हुई है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल निरोगी होना ही नहीं, बल्कि व्यक्ति का स्वास्थ्य ऐसा हो कि वह अपनी शारीरिक क्रिया से लोगों के लिए अधिक से अधिक हितसाधक बन सके। यह ठीक है कि गरीब ग्रामीणों को गरीबी और भुखमरी से छुटकारा दिलाने की अनेक योजनाएं चालू हैं परन्तु इन योजनाओं का लाभ उनको इतना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए क्योंकि इनके लिए नियत अधिकांश राशि बीच में ही हड़प ली जाती है। अतः जरूरत इस बात की है कि योजनाओं को इस तरह अमल में लाया जाए जिससे ग्रामीण गरीबों को इनका पूरा लाभ मिल सके।

ग्रामीणों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए शिक्षा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से ग्रामीणों को स्वास्थ्य रक्षा के नियमों से अवगत कराया जा सकता है। रेडियो तथा टलीविजन से भी उन्हें स्वस्थ रहने की शिक्षा दी जा सकती है। गांवों के स्कूलों में शुरू से ही बच्चों को स्वास्थ्य और सफाई की शिक्षा देकर उन्हें स्वस्थ और सबल बनने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

गांवों में कुपोषण से भी अधिकांश लोग बीमारियों का शिकार होते हैं। पोषाहार का अर्थ यह नहीं कि भरपट खाना मिले, बल्कि यह है कि एसा आहार हो जिससे अच्छी शारीरिक स्थिति बने और हमारे गरीब से गरीब लोग इस प्रकार का सन्तुलित आहार प्राप्त कर सकें जो मानव शरीर की क्रियाओं के आवश्यकतानुसार पोषण मानों को प्रदान करने वाला हो तथा जो कम से कम खर्चीला हो ताकि लोगों का शारीरिक और मानसिक दृष्टि से अच्छा विकास हो सके।

अन्त में यह कहना असंगत न होगा कि हमें अपने ग्रामीणों के समुचित विकास के लिए कुपोषण, अशिक्षा, गन्दगी, गरीबी आदि पर कड़ा प्रहार करना होगा। □

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 27 श्रावण–भाद्रपद 1904 अंक 10

मज़दूर मंज़िल

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत व्यापार व्यवस्थापक प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण विकास मन्त्रालय 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

एक प्रति 1 रु० वार्षिक चन्दा 10 रु०

व्यापार व्यवस्थापक: एस० एल० जायसवाल

सहायक व्यापार व्यवस्थापक : एल० आर० बत्रा

सहायक निदेशक (उत्पादन) : के० आर० कृष्णन

दूरभाष : 382406

सम्पादक : महेन्द्र पाल सिंह

उपसम्पादक : राधे लाल

आवरण पृष्ठ : परमार

इस अंक में **पृष्ठ संख्या**

नया बीस सूत्री कार्यक्रम : पृष्ठ भूमि और लक्ष्य **डा० शंकर दयाल शर्मा**	2
ग्राम विकास में नई दिशा - 'केम्पसारा' **शशिभूषण दास**	7
अच्छे पोषाहार के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता **सी० गोपालन**	10
शिक्षा और आर्थिक विकास **आर० सी० भटनागर - टी० आर० सिंह**	14
लिफ्ट सिंचाई समृद्धि लाई **जगमोहन लाल माथुर**	16
खुशहाली की ओर बढ़ते कदम **श्री शिवराम सिंह ठाकुर**	20
"20 संकल्पों से सुवासित सिरोही जिला" **जुगल किशोर शर्मा**	22
रेशम कीट पालन : एक लाभदायक धन्धा **रामस्वरूप जोशी**	24
कृषि और यातायात में पशु ऊर्जा **निहाल सिंह**	27
रोजगार कार्यक्रम को कारगर ढंग में अमल में लाने के प्रयास	29
केन्द्र के समाचार	31
गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए बायो गैस **देवेन्द्र उपाध्याय**	आवरण पृष्ठ-3

नया बीस सूत्री कार्यक्रम

पृष्ट भूमि और लक्ष्य

डा० शंकर दयाल शर्मा

लगभग सात वर्ष पूर्व 1975 में हाथ में लिए गए 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने विभिन्न वर्गों की कठिनाइयां दूर करने के लिए पुनः गत जनवरी में नया रूप दिया। पिछले कार्यक्रम के कई लक्ष्य पूरे हो गए थे, उनका स्थान विकास के नए मुद्दों ने ले लिया। नया कार्यक्रम बेहतर जीवन के प्रयासों को नई दिशा और गति देने और नई चुनौतियों का सामना करने का संकल्प है, और उस पर मुस्तैदी से देश के कोने-कोने में अमल प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को तो इस कार्यक्रम को समय सीमा में क्रियान्वित करने की विशेष जिम्मेदारी सौंपने के साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को भी जन सहयोग प्राप्त करने के लिए वातावरण बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा है। दिल्ली में एक निर्देशन कक्ष (मानीटरिंग सेल) बनाया गया है, जो राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्यों, दल के विधायकों, युवा संगठनों, व्यापार संघों, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा कांग्रेसजनों से सम्पर्क स्थापित कर रहा है। मंत्रियों से आशा की जाती है कि वे अपने अधीनस्थ जिले में स्वयं जाएं और विधायक तथा सम्बद्ध अधिकारियों से मौके पर बाधाओं पर विचार विमर्श कर तुरन्त उनका समाधान करें। संक्षिप्त में हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि यह कार्यक्रम पूर्णतः सफल हो, निर्धन और कमजोर तबकों की हालत में तेजी से सुधार हो।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य और उनकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति मोटे तौर पर इस प्रकार है। अगले तीन वर्षों में 90 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की नवीन सुविधाएं जुटाने का जो कार्यक्रम हाथ में लिया जा रहा है, वह मानव इतिहास का एक बेमिसाल प्रयास है। यह अन्दाजा है कि गत दो वर्षों में 50 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता निर्मित हो चुकी है। अब प्रतिवर्ष 30 लाख हेक्टेयर के लिए पानी की व्यवस्था करने का भागीरथ प्रयास बीस सूत्री कार्यक्रम का प्रमुख अंग है। इस लिये एक समन्वित ग्रंथ बनाएंगे जिससे कि लोहा, सीमेंट, कोयला आदि समुचित मात्रा में सिंचाई परियोजनाओं को समय पर मुहैया हो सकें।

कृषि उत्पादन के दो और पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। निर्मित सिंचाई क्षमता का भरपूर उपयोग और वर्षा पर निर्भर देश की 70 प्रतिशत कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नए तरीकों को अपनाने के लिए किसान भाइयों को उत्प्रेरित करना। जहां कहीं से अब भी पानी मिल सके उसका भरपूर उपयोग करने के लिए त्वरित कदम उठाए जा रहे हैं।

पौष्टिक तत्वों की दृष्टि से दालों और वनस्पति तेलों का अत्याधिक महत्व है। इनका उत्पादन बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप नहीं बढ़ पा रहा है। विकास खण्ड स्तर पर दाल और तिलहन कृषि के अन्तर्गत अनिश्चित क्षेत्र लाना, सिंचाई को बढ़ावा देना, नए तरीकों से उत्पादकता बढ़ाना, मिलीजुली फसल प्रणाली में दालों तिलहनों के रखरखाव के तरीकों से किसानों को परिचित कराना और चावल, बिनौले, आम की गुठली, मक्का आदि से तेल निकालना, तथा उनके उपयोग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण काम हाथ में लिया गया है। जिससे आगामी तीन वर्षों में दालों का उत्पादन 1.45 करोड़ टन और तिलहन का 1.30 करोड़ टन प्रतिवर्ष हो सके। गुजरात के चार और मध्यप्रदेश के तीन जिलों में तिलहन का उत्पादन, प्रोसेसिंग विपणन, सहकारी आधार पर आरम्भ किया जा रहा है।

इस वर्ष प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम आठ लाख रुपये की मदद से गरीब परिवारों की अपनी आय बढ़ाने का योजना कार्यक्रम चल रहा है। यह आशा है कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना के अन्त तक डेढ़ करोड़ गरीब परिवारों का इस योजना द्वारा अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए 300 करोड़ रुपयों के कर्ज और 150 करोड़ रुपयों का अनुदान मिल सकेगा। इससे हरिजन-आदिवासी और गरीबों को विशेष लाभ मिलेगा।

साथ ही काम के बदले अनाज योजना के बदले में, उसकी कमियों को दूर करते हुए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों में हर वर्ष 30 से 40 करोड़ मानव दिवस कार्य दिवसों का रोजगार उपलब्ध होगा। इस काम के लिए छठी पंचवर्षीय योजना

में 1620 करोड़ रुपये का इन्तजाम है। डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत भी एक करोड़ 50 लाख परिवारों में दुग्ध विक्रय एक आय का साधन बना दिया जाएगा।

निजी भूमि कानूनों को तेजी से अमल में लाकर अतिरिक्त भूमि विशेषकर हरिजन/आदिवासियों को बांटी जा रही हैं। भूमिहीन लगभग आठ लाख हेक्टेयर भूमि के मालिक हो चुके हैं। और लगभग सात लाख हेक्टेयर का वितरण भी दो तीन वर्षों में पूरा करने के निर्देश राज्य सरकारों को दिए जा चुके हैं। भूस्वामियों को भूमि रिकार्ड की नई पास बुक जारी करने का काम भी बड़े स्तर पर शुरू कर दिया गया है।

खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिलाने के लिए सभी राज्यों में पहल की जा रही है। कहीं-कहीं न्यूनतम वेतन 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। न्यूनतम वेतन खेतिहर मजदूरों को मिलता रहे, इसके लिए कारगर कदम उठाने को राज्य सरकारों से कहा गया है, वास्तव में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार परियोजना प्रभावी ढंग से लागू की जाए तो न्यूनतम वेतन के भुगतान में काफी मदद मिल सकती है।

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास में तेजी लाने के उद्देश्य से एक और योजना आरम्भ की गई है और इसमें राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय में से आधा केन्द्र सरकार द्वारा देने की व्यवस्था है। 1980-81 तक 1 लाख 22 हजार बंधुआ मजदूरों को पुनः बसा दिया गया है। 1981-82 में भी इसके तहत 13000 लोगों को पुनर्वास के लिए धन की व्यवस्था थी। कुछ राज्यों में चुने हुए जिलों में सघन सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसने ज्ञात हो सके कि कहीं कोई बंधुआ मजदूर बसने को रह तो नहीं गया है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास की राज्य सरकारों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। चौथी पंचवर्षीय योजना में आदिवासी उप योजनाएं चलाई गई। आदिवासी उपयोजनाओं के लिए पांचवीं योजना अवधि में 917 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसमें 168 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता भी शामिल है। पांचवीं योजना में अनुसूचित जातियों के लिए 220 करोड़ रुपये व्यय किए गए। इनमें मार्च, 1980 में फैसला किया गया कि 1980-81 वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों के कल्याण और उनके लिए विशेष सहायता योजनाएं तैयार करने के लिए एक अरब रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाए। यह भी निर्णय किया गया कि प्रमुख रूप से विकास कार्य राज्य योजनाओं के माध्यम से किया जाएगा और निश्चित संख्या में अनुसूचित जाति के परिवारों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने के लिए मदद दी जाएगी। वर्तमान योजना के दौरान अनुसूचित जाति विशेष योजना के लिए राज्यों की योजनाओं में 400 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें पिछड़ा वर्ग मद का खर्च भी शामिल है।

इसके अलावा चालू योजना अवधि में विशेष सहायता योजना के लिए 80 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता का भी प्रावधान है। विशेष उपयोजनाओं से छठी योजना के अन्त तक आदिवासी आबादी के 75 प्रतिशत लोगों को लाभ पहुंचाने का अनुमान है, जबकि पांचवीं योजना के अन्त तक 65 प्रतिशत आदिवासी आबादी इन योजनाओं से लाभ उठा सकती थी। चालू योजना अवधि में राज्य योजना कार्यक्रमों से आदिवासी उपयोजनाओं के लिए 300 करोड़ रु० प्राप्त होने का अनुमान है, जिसमें पिछड़े वर्ग मद से प्राप्त होने वाली राशि भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त छठी योजना में 4470 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता का भी प्रावधान है बहुत पिछड़ी जनजातियों के लिए शुरू की जा रही विशेष योजनाओं का सारा व्यय केन्द्र सरकार उठाएगी।

दूर-दराज इलाकों में बसे सभी गांवों में पीने के पानी के साधनों के इंतजाम बड़े पैमाने पर किए गए। फलस्वरूप लगभग 95,000 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की जा चुकी है। पहले सर्वेक्षण के अनुसार अभी भी जिन 57,000 (सिक्किम के गांव भी शामिल हैं) गांवों के सर्वेक्षण में पानी की कमी या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पानी वाला बताया गया, उनमें पेयजल का इन्तजाम अभी किया जाना है। राज्य सरकारों से मिले ताजा आंकड़ों से मालूम होता है कि एक अप्रैल 1980 में देश में 2 लाख 31 हजार गांव ऐसे थे जहां प्राथमिकता के आधार पर पीने के पानी की व्यवस्था करना जरूरी है। आगामी तीन वर्ष में यह कोशिश की जाएगी कि पानी की कमी वाले जिन गांवों का पता लगाया गया है, उनमें पीने के पानी का कम से कम एक ऐसा साधन अवश्य हो, जो साल भर बना रहे। हरिजन आदिवासी बस्तियों को समुचित प्राथमिकता दी जाएगी।

ग्रामीण भूमिहीनों को निशुल्क भू-खण्ड देने की पिछली योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत इस योजना के लिए 55 करोड़ रुपये की राशि रखी गई। 1974-79 के दौरान इस पर वास्तविक खर्च 72 करोड़ रुपये हुआ। 1979 से 1981 के दो वर्षों में इस पर 110 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

ऐसा अन्दाजा है कि लगभग एक करोड़ 45 लाख ऐसे परिवार हैं, जिन्हें भू-खण्ड और मकान बनाने के लिए सहायता की जरूरत है। इनमें 77 लाख परिवारों को जमीन दी जा चुकी है और 6 लाख परिवारों ने इन जमीनों पर अपने मकान बना लिए हैं। 168 लाख परिवारों को अभी जमीन दी जानी है और एक करोड़ 39 लाख परिवारों को मकान बनाने के लिए मदद दी जानी है। कोशिश यह है कि 1985 तक सभी भूमिहीन परिवारों को मकान के लिए जमीन मिल जाए।

मार्च 1978 तक तंग बस्तियों में पर्यावरण सुधार की योजनाएं लागू करने से करीब 50 लाख लोगों को लाभ पहुंचा है। इस योजना का विस्तार किया गया और 120 रुपये की जगह अब

150 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से खर्च करने की व्यवस्था की गई और इसे सभी शहरों में लागू कर दिया गया। समझा जाता है कि अप्रैल, 1978 और मार्च 1980 के बीच इस योजना से लगभग 18 लाख लोगों को लाभ पहुंचा।

ऐसा अन्दाजा है कि 1980 तक तंग बस्तियों में रहने वालों की संख्या 3 करोड़ 78 लाख 70 हजार के करीब होगी। इसमें से 68 लाख लोगों के लिए मार्च, 1980 तक यह योजना लागू कर दी गई और शेष आबादी को लाभ पहुंचाने की कोशिश है। जमीन की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें शहरी भूमि (हदबन्दी और नियमन) कानून की समीक्षा और मकान बनाने के लिए अधिक भूमि उपलब्ध करने के उपाय भी शामिल हैं।

वर्तमान योजना में कमजोर तबकों के लोगों को मकान बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा सीधे सहायता देने की व्यवस्था है। इस बारे में नीति 'जमीन और सेवाएं' योजना चलाने की है, जिसमें इतनी राशि दी जाएगी, जिससे काम चलाऊ मकान अवश्य बन सके। इस योजना से लाभ उठाने वालों को प्रति मकान 3,000 रु० तक का रियायती ब्याज दरों पर कर्ज दिया जाएगा, जो 20 से 25 वर्षों म लौटाया जाएगा। 485 करोड़ रुपये इस योजना के लिए रखे गए हैं। ऐसी आशा है कि इससे 16 लाख 20 हजार परिवार फायदा उठाएंगे। आवास और शहरी विकास निगम भी 180 करोड़ रुपये अलग से खर्च करेगा लेकिन हुडको कमजोर वर्गों के लिए नियमित रूप से सस्ते मकान बनाने पर ही अपना धन खर्च करेगा। इन मकानों की औसत लागत 6 हजार रु० तक होगी। इससे तीन लाख मकान बन सकेंगे।

छठी योजना के अन्त तक 191 अरब यूनिट के लक्ष्य के विरुद्ध गत वर्ष 130 अरब यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ था। यह आवश्यक है कि राज्य बिजली बोर्डों का घाटा कम करने और उनका काम-काज बेहतर बनाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं। मुख्य प्रयास ताप बिजली घरों के लो प्लांट लोड फैक्टर को सुधारने, नए बिजली घरों को चालू करने में जो बिजली बेकार जाती है, उसे रोकने तथा राज्य बिजली बोर्डों की प्रबन्धकीय कार्य कुशलता बढ़ाने की दिशा में करने होंगे। राज्य सरकारें इस ओर विशेष ध्यान दे रही है।

1979-80 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित सामाजिक वृक्षारोपण योजनाएं राज्य क्षेत्र को स्थानान्तरित कर दी गईं। लेकिन छठी योजना (1980–85) में 100 करोड़ रु० के खर्चे से केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना शुरू की गई है। "ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण सहित सामाजिक वृक्षारोपण" नाम की इस योजना के अन्तर्गत 100 जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण के लिए निशुल्क पौधों की व्यवस्था शासन द्वारा की जाएगी।

गोबर गैस तैयार करने के लिए देश में 30 से 40 करोड़ टन गोबर उपलब्ध है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में पेड़ों के पत्ते, टहनियां तथा अन्य तरह का कूड़ा-करकट भी गोबर में मिलाया जा सकता है। अनुमान है कि अगर ये सभी वस्तुएं इस्तेमाल की जाएं तो करीब 70 अरब घन मीटर मैथेन गैस तैयार हो सकती हैं, जो 16 करोड़ टन ईंधन की लकड़ी के बराबर है।

10 लाख घरेलू आकार के और 100 सामुदायिक गोबर गैस संयंत्र तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि और सहकारिता विभाग ने 50 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय से घरेलू आकार के 4 लाख गोबर गैस संयंत्र तैयार करने का एक कार्यक्रम हाथ में ले लिया है। राज्य सरकारों को इस काम की ओर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

1947 के बाद से हमारी आबादी दुगनी हो गई है। इसी गति से अगर हमारी जनसंख्या बढ़ती गई तो विकास कार्यों से मिले सभी लाभ बेकार हो जाएंगे। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं मे सुधार से मृत्यु-दर में उल्लेखनीय कमी हुई है। लेकिन बच्चों की जन्म-दर कम करने की दिशा में विशेष प्रगति नहीं हो पाई है। 1971 और 1981 के बीच जन्म-दर लगभग 37 प्रति हजार रही। जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर से सन् 2000 तक हमारे देश की आबादी एक अरब हो जाएगी। छठी योजना में जन्म-दर घटा कर 21, मृत्यु दर 9 तथा शिशु मृत्यु-दर 50 से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है, जब परिवार नियोजन अपनाने वाले दम्पतियों का प्रतिशत 22.5 प्रतिशत से बढ़कर 1984-85 तक 36.5 प्रतिशत हो जाए।

परिवार नियोजन एक जन अभियान है। लोग अब छोटे परिवार के लाभ समझने लगे हैं। सरकार का काम लोगों को बच्चों का जन्म रोकने के उपायों की जानकारी देना है, ताकि वे खुद ही परिवार नियोजन का कोई एक उपाय अपना लें। आवश्यकता इस बात की है कि गांव से लेकर देश तक हर स्तर पर स्वयंसेवी संस्थायें इस दिशा में प्रयास करें। इस कार्यक्रम की सफलता पर देश का भविष्य निर्भर करता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ान तथा कुष्ठ रोग, क्षय रोग और अन्धेपन की रोकथाम की जो मुहिम हमने उठाई थी, उसमें काफी काम हुआ है। छठी योजना में एहतियाती, स्वास्थ्यवर्धक तथा इलाज के उपाय करने के साथ-साथ स्वच्छ पानी की सप्लाई, सफाई व्यवस्था में सुधार, पौष्टिक आहार और शिक्षा के अन्य कार्यक्रमों से तालमेल करके चलने का समन्वित रवैया अपनाया गया है। गांवों में एक हजार लोगों पर एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य पथ प्रदर्शन नियुक्त किया जाएगा, जो लोगों को परिवार नियोजन सहित स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी देगा। मामूली रोगों का इलाज करेगा तथा गम्भीर रोग होने पर रोगियों को निकट के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भेजेगा। हर 5,000 पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में

3,000) की आबादी के लिए एक स्वास्थ्य उप-केन्द्र बनाया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मौटे तौर पर लगभग 30,000 (पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों में 20,000) की आबादी के लिए होगा। ग्रामीण स्तर से ही रोगियों को बड़े अस्पताल में भेजने की एक विशेष सेवा शुरू की जाएगी। 1979-80 तक देश में 1 लाख 40 हजार स्वास्थ्य पथ प्रदर्शक, 50,000 उप केन्द्र, 5,400 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 340 ग्रामीण अस्पताल (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) थे। छठी योजना में 4 लाख स्वास्थ्य पथ प्रदर्शक नियुक्त करने तथा 174 ग्रमीण अस्पताल, 40,000 उपकेन्द्र और 1,600 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सहायक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये सभी सुविधाएं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जुटाई जाएंगी, जिसके लिए केन्द्र/राज्य योजनाओं में धन की व्यवस्था की गई है।

कुष्ठ रोग की रोकथाम का एक वर्तमान कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में चलाया जा रहा है, जिसका पूरा खर्च केन्द्र सरकार देती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कम-से-कम 90 प्रतिशत मामलों में रोग का पता लगाना और 40 प्रतिशत मामलों में रोग को समाप्त करना है।

छठी योजना में अन्धेपन की घटनाएं आधार वर्ष में 1.40 प्रतिशत से घटाकर 1984-85 तक 1 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। 60 लाख लोग मोतियाबिन्द से पीड़ित हैं और हर वर्ष 10 लाख और लोग इस रोग की गिरफ्त में आ जाते हैं। मोतिया बिन्द का इलाज करने की वर्तमान क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। आंखों की देखभाल के लिए चलते-फिरते अस्पतालों का प्रबन्ध किया जाएगा, जिनमें आपरेशन करने की व्यवस्था भी होगी। स्वयंसेवी संस्थाओं को नेत्र शिविर लगाने के लिए अनुदान देने की व्यवस्था जारी रहेगी।

महिलाओं और बच्चों के कल्याण कार्यक्रमों तथा गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों, विशेष रूप से आदिवासी, पहाड़ी और पिछड़े इलाकों में रहने वालों के लिए पौष्टिक आहार कार्यक्रमों को तेज गति से चलाने का काम हाथ में ले लिया गया है। महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के कार्यक्रमों पर अब अधिक ध्यान दिया जाएगा। दहेज जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ जनमत तैयार किया जाएगा तथा कानूनी उपाय किए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य तथा उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने, तथा शिक्षा में सुधार के लिए सुविधाएं जुटाने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों में बाल मृत्यु-दर अधिक है। इन समस्याओं को हल करने की दृष्टि से 1975-76 में 33 ग्रामीण और जनजाति विकास खण्डों तथा शहरी तंग बस्तियों में प्रौद्योगिक तौर पर "समन्वित बाल विकास सेवाएं", योजना शुरू की गई। इस योजना में जो सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, वे इस प्रकार है:—

(1) पूरक पौष्टिक आहार, (2) टीके लगाना, (3) स्वास्थ्य सम्बन्धी जांच, (4) रोगियों की जांच के बाद अस्पताल आदि जाने की सलाह देना, (5) पौष्टिकता और स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा और (6) 3-5 वर्ष की आयु के बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा के प्रसार के लिए युवतियों और माताओं को साक्षर बनाने का कार्यक्रम भी इन विकास खण्डों में शुरू किया गया है, जिसमें बच्चों की देखभाल, पौष्टिकता और स्वास्थ्य शिक्षा आदि में मदद मिलती है। अब तक मिली सूचनाओं से पता चलता है कि इन परियोजनाओं से बच्चों की पौष्टिकता की स्थिति बेहतर हुई है। छठी योजना के प्रारम्भ में इन परियोजनाओं की संख्या 150 थी। इन परियोजनाओं की संख्या एक हजार करने का फैसला किया गया, हालांकि योजना बनाते समय 600 का लक्ष्य रखा गया था। इन परियोजनाओं से पिछड़े, ग्रामीण जनजाति क्षेत्रों तथा तंग बस्तियों में 1 करोड़ 40 लाख बच्चों को टीके लगाए जा सकेंगे और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकेंगी। 60 लाख बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जा सकेगा और 30 लाख बच्चों को स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा दी जा सकेगी।

1990 तक 6 से 14 वर्ष तक के सभी अनुमानित 16 करोड़ 30 लाख बच्चों के नाम प्राथमिक स्कूलों में दर्ज करने होंगे चाहे वह शिक्षा औपचारिक हो या अनौपचारिक। इस समय 9 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूलों में जाते हैं। अगले 10 वर्षों में 7 करोड़ और बच्चों को स्कूलों में दाखिल करना होगा। अगले दस वर्षों में जिन 7 करोड़ बच्चों को स्कूलों में दाखिल किया जाना है, उनमें से ढाई करोड़ लड़के और साढ़े चार करोड़ लड़कियां होंगी। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और भूमिहीन मजदूरों के बच्चों, खासकर लड़कियों को स्कूलों में भर्ती करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। मुफ्त पुस्तकें तथा लेखन सामग्री, वर्दियां और उपस्थिति छात्रवृत्ति जैसे प्रोत्साहन भी कमजोर वर्गों के बच्चों, खास कर लड़कियों को दिए जाएंगे। इस समय पहली से आठवीं कक्षा में अनुसूचित जातियों के एक करोड़ 25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। इन जातियों के एक करोड़ 12 लाख और बच्चों को स्कूलों में भर्ती करना होगा। इसी तरह 1990 तक अनुसूचित जनजातियों के पहली से आठवीं तक पढ़ने वाले बच्चों की संख्या एक करोड़ 10 लाख करनी होगी, जो इस समय 50 लाख है। इस कार्यक्रम को उन जिलों में तेजी से चलाना होगा, जहां स्कूलों में जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक है।

अशिक्षा के बहुत खतरनाक नतीजे होते हैं। 15 से 35 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए निरक्षर होने से विशेष नुकसान होता है, क्योंकि इस अवस्था में वे मां या बाप बनते हैं। इसलिए 190 तक साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 15 से 35 वर्ष तक के सभी निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने का कार्यक्रम है। इसलिए पिछली योजनाओं में शुरू किए गए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को और कारगर ढंग से लागू किया जाएगा। साक्षर बनने के बाद लोग पढ़ते-लिखते रहें, इसके लिए नव-साक्षरों के लिए साहित्य उपलब्ध कराने तथा गांवों में पुस्तकालय खोल कर समुचित व्यवस्था करनी होगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का इस तरह विकास किया जाना है कि वह देश की अर्थ-व्यवस्था का मजबूत और भरोसेमन्द हिस्सा बन सके। गत दो साल में उचित दर की दुकानों की संख्या काफी बढ़ी है। अब इस देश में करीब तीन लाख उचित दर की दुकानें हैं। एक साल में इनकी संख्या बढ़ाकर साढ़े-तीन लाख करने का प्रस्ताव है। इन दुकानों में खुदरा तथा थोक दोनों स्तरों पर सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छी किस्म की वस्तुएं उचित मात्रा और मूल्य पर दिलाने के मामले में वर्तमान कानूनी व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने में स्वयं सेवी उपभोक्ता संगठन बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे स्वयंसेवी संगठनों में महिलाओं को अधिक सक्रियता से शामिल किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं में आवश्यक जागृति पैदा करने के काम में पंचायतों का सहयोग लिया जाएगा। विद्यार्थियों की आवश्यकता पूरी करने का काम भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सौंपा जाएगा। छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को परमिट जारी करने के तरीके में सुधार किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय इस समय पाठ्य पुस्तकों की छपाई तथा कापियां तैयार करने के लिए राज्यों को कागज देता है। नियंत्रित मूल्यों पर कापियां बेचने की वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी।

पाठ्य पुस्तकें बार-बार बदलने से बचा जाएगा और पुनरावृत्तियां दूर करके पुस्तकों का आकार कम किया जाएगा, समय पर प्रकाशन किया जाएगा और स्कूलों और कालेजों में पुस्तक बैंकों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

औद्योगिक विकास को गति देने के प्रयास किए जा रहे हैं। लाइसेन्स जारी करने के लिए अवधि काफी हद तक कम कर दी गई है। अपना सारा माल निर्यात करने वाले कारखाने तेजी के साथ लग सकें, इसके लिए एक विशेष बोर्ड बनाया गया है, जो औद्योगिक लाइसेन्स, विदेशी-सहयोग, मशीनों के तथा कच्चे माल के आयात से सम्बन्धित मामलों को निपटाएगा। छोटे उद्योगों के विकास की गति तेज करने के लिए इन उद्योगों में पूंजी लगाने की सीमा बढ़ा दी गई है। हर वर्ष 5 प्रतिशत तथा पांच साल की अवधि में 25 प्रतिशत तक स्वतः ही क्षमता बढ़ाने की सुविधा अब सभी उद्योगों पर लागू कर दी गई है। वर्तमान योजना में लघु उद्योग कार्यक्रम के लिए 1780 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो पांचवीं योजना में रखी गई राशि 535 करोड़ से 3.3 गुना ज्यादा है। विभिन्न अखिल भारतीय बोर्डों और संगठनों द्वारा किए जा रहे अनुसन्धान और विकास कार्य से ऐसी टेक्नोलाजी विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे लोगों को कड़ी मेहनत से बचाया जाए, लेकिन रोजगार की संभावना भी कम न हो तथा कारीगरों की आमदनी भी बढ़े। राज्य सरकारों से कहा जा रहा है कि वे हथकरघा क्षेत्र में नियंत्रित कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की योजना पर अमल करें, जिससे निर्धन वर्गों, खास-कर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मात्रा में कपड़ा उपलब्ध हो सके।

काले धन का चलन कम करने के लिए विशेष धारक बांड जारी करना इस दिशा में उठाया गया एक और सफल प्रशासनिक कदम है। इस योजना से 960 करोड़ रुपये का काला धन जमा हुआ। 1980 में वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के तत्काल बाद बीस सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में एक कार्य योजना (एक्शन प्लान) पर अमल किया गया जिससे तस्करों, जमाखोरों, और आय-कर चोरों पर अंकुश लगा है। गत तीस वर्षों की गति को देख कर यह स्पष्ट हो जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख भूमिका देने की नीति बुनियादी तौर पर सही है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों खासकर आधार-भूत और भारी उद्योग में आगे बढ़ कर प्रयास न किए होते तो इस समय औद्योगिक ढांचे में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वह कभी संभव न होता। देश में ऐसा आधारभूत ढांचा तैयार करने का श्रेय भी सरकार को जाता है, जो तेजी से विकास करने के लिए बहुत आवश्यक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अनेक उद्देश्यों को लेकर चलते हैं। ये हैं राष्ट्रीय आत्म-निर्भरता प्राप्त करना, जो वस्तुएं आयात की जाती हैं वे वस्तुएं देश में ही तैयार करना, क्षेत्रीय और सामाजिक विषमताएं कम करना, कीमतों को बढ़ने से रोकना आदि। केन्द्र और राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्रों, खासकर रेलवे डाक-तार, बिजली बोर्डों तथा परिवहन निगमों के कामकाज में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। तेजी से विकास तभी हो सकता है, जब सार्वजनिक संस्थान स्वयं अपने साधन जुटाने में सक्षम हों। इन संस्थानों में प्रबन्ध-व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है, जिससे क्षमता का अधिकतम उपयोग करने और अधिक कार्य कुशलता लाने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा सके। परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखते हुए निर्माण सम्बन्धी प्रबंध की आधुनिक तकनीकें लागू की जाएंगी, ताकि समय पर काम पूर्ण करने में आने वाली रुकावटें दूर की जा सकें और परियोजनाओं की लागत को न बढ़ने दिया जाए। अधिकारों के विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रबंध में कर्मचारियों को और अधिक भागीदार बनाने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। 1982 को उत्पादकता वर्ष कहा गया है। सभी उत्पादन इकाइयों को चाहिए कि वे उन कमियों और त्रुटियों का पता लगाकर उन्हें दूर करें, जिनके कारण क्षमता का भर-पूर इस्तेमाल नहीं हो पाता।

इन सबसे यह साफ है कि बीस सूत्री कार्य-क्रम के पीछे हमारी लोकप्रिय प्रधान मंत्री का यह दृढ़ निश्चय है कि लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बेहतर हो और इसके लिए आवश्यक कदम एक समय-सीमा में उठाए जाएं। जन कल्याण के इस भगीरथ कार्य के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। जरूरत सिर्फ यह है कि इन कार्यक्रमों पर अमल पूरी ईमानदारी से हो, मेहनत से हो। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अगर इस कार्यक्रम का नियमित रूप से जायजा लेते रहें और इसकी खामियों से मंत्री मुख्य-मंत्री को अवगत कराते रहें तो कोई कारण नहीं कि अभीष्ट उद्देश्यों की पूर्ति न हो सके। □

(मध्य प्रदेश संदेश से साभार)

ग्राम विकास में नई दिशा

'केम्पसारा'

शशि भूषण दास

कलेक्टर, जिला किओनझाड़, (उड़ीसा)

भारत की कृषि अर्थव्यवस्था ऐसी है कि उसमें गांवों का विकास बड़े पैमाने पर होना जरूरी है। देश में औद्योगिकीकरण की प्रगति तेजी से हो रही है। फिर भी गांवों का बुनियादी महत्व बना हुआ है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के स्वस्थ और संतुलित विकास के लिए गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना जरूरी है। कृषि प्रधान देश में मानव संगठन के विश्लेषण से इस बात के महत्व का पता चलता है कि सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को कारगर तरीके से अंजाम देने के लिए छोटी-छोटी इकाइयों का होना अनिवार्य है। स्वतंत्रता से पहले सदियों से गांवों पर बड़ा बोझ और दबाव पड़ता रहा है। अंग्रेजी राज में और उनसे पहले भी, शासक लोग अपनी गतिविधियों को केवल वहीं तक सीमित रखते थे जहां कि आबादी घनी थी और बाद में जिन की गिनती शहरों में होने लगी। इन्हीं शहरों के लोग जो बात कहते थे वही बात शासकों की कार्य-कुशलता को जांचने का आधार समझी जाती थी। इसी कारण गांवों के रहने वाले लोगों की भलाई पूरी तरह उपेक्षित रही। चूंकि शहरी लोगों की बात ही सुनी जाती थी इसलिए गांव वालों की शिकायतें शासकों के पास नहीं पहुंच पातीं और उन लोगों की आवाजें नक्कारखाने में तूती की आवाज की तरह दब जाती थी। गांधी जी की ललकार ने गांवों में जागृति पैदा की और गांव के लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया।

देश की आजादी ने शहर और गांव दोनों ही के लोगों में नई आशा और महत्वाकांक्षाओं का संचार किया। निराश गांवों के लोगों को अब मौका मिला कि वे अपनी शिकायतें और समस्याएं सरकार के सामने रखें। गांव के युवक तो बेताब थे परिवर्तन के लिए और इसीलिए वे शहरों की तरफ भागे। वे लोग शहरी जीवन में बिल्कुल घुलमिल गए। यह प्रक्रिया कुछ समय तक तो चलती रही और कुछ समय बाद गांव के ये लोग शहरों में परजीवी हो गए क्योंकि एक तो शहरों में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई और दूसरे वहां के सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे पर जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ गया। देश की पंचवर्षीय योजनाओं में गांवों की उन्नति के लिए अनेक कार्यक्रम रखे गए और उनके लिए काफी बड़ी रकमें भी रखी गईं। लेकिन इन योजनाओं में स्पष्ट उद्देश्यों के बावजूद, अभी तक गांवों की आर्थिक दशा सुधरनी बाकी है। आजादी के बाद वाले वर्षों में, देश की आर्थिक प्रगति विभिन्न दिशाओं में हुई है। इस प्रकार के आशाजनक प्रयत्नों के फलस्वरूप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यों यानी दृष्टिकोणों में भारी परिवर्तन हुए। ग्रामस्तर पर युवा और वृद्ध पीढ़ियों में और उनके बीच जीवन-मूल्यों में परस्पर टकराव पैदा हो गया और इसके फलस्वरूप असंतोष, गड़बड़ी और द्वेष फैलने लगे जिससे प्रकृति की प्रक्रिया में बाधा पड़ गई। गांवों में एक और बुरी प्रवृत्ति पनप रही है यानी दूसरों के भरोसे या सहारे काम छोड़ना। जब तक गांव के लोग दिल खोलकर विभिन्न विकास कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते और अपनी सहायता आप नहीं करते तब तक पूर्ण विकास के लक्ष्य तक पहुंचना संभव नहीं है। समस्या का हल तभी हो सकता है जबकि विकास की सर्वांगीण नीति के अनुरूप सबसे नीचे के स्तर पर कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए कारगर प्रणाली तैयार की जाए।

केम्पसारा : एक नई धारणा

गांवों के विकास और प्रबन्ध के नए दृष्टिकोण में नई धारणा संबंधी तीन आधार हैं :-

1. गांवों में लाभकारी रोजगार या धंधों में लगाकर युवा शक्ति का समुचित लाभ उठाया जाए।
2. युवकों को प्रेरित किया जाए ताकि वे (क) सरकारी तन्त्र की सहायता से

गांव के प्रत्येक परिवार की सामाजिक-आर्थिक समस्या के समाधान का दायित्व संभालें और (ख) गांव के अपेक्षित सामाजिक–आर्थिक बुनियादी ढांचे और सरकार द्वारा दी जाने वाली सीधी सहायता के बीच जो अन्तर है, उसे पाटें ।

3. उनमें एक ऐसी तीव्र भावना का विकास किया जाए कि वे समझने लगें कि वे गांव से जुड़े हुए हैं और उनमें समजातीय ग्राम संगठन के निर्माण के लिए 'अपनी सहायता आप' की प्रवृत्ति पैदा की जाए ।

किसी भी समय किसी भी सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह सभी युवकों को शत प्रतिशत रोजगार दिला सके । युवकों की शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि सामाजिक व्यवस्था मजबूत बन सके । आबादी की वृद्धि और विकास की गति की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए शहरी केन्द्र सभी कार्यक्षम व्यक्तियों को रोजगार नहीं दे सकते । कृषि प्रधान ग्रामीण समाज में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने में शहरीकरण की प्रक्रिया उपयोगी नहीं है । इस समस्या का जवाब यह है कि गांवों के युवकों को वहीं गांव में ही अच्छा रोजगार देकर रोका जाए । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए युवकों को प्रेरित किया जाए और उन्हें ऐसे विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाएं जोकि गांवों के लिए उपयुक्त हों । इस समय प्रवृत्ति यह है कि लोग शहरों की तरफ रोजगार की तलाश में भागते हैं, उन्हें वहीं काम दिलाया जाए और रोका जाए । जब यह प्रेरणा कारगर हो जाए तो उन युवकों को सरकार की बीस सूत्री योजना में समाकलित ग्राम विकास और गांव के गरीबों के आर्थिक पुनर्स्थापन कार्यक्रम के अंतर्गत, उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार उपयुक्त व्यवसाय में लगा दिया जाए ।

हमारे सामाजिक संगठन में 'परिवार' सबसे नीचे वाला स्तर है । इस स्तर पर विकास के लिए पर्याप्त सामाजिक-आर्थिक अवसर मिलने चाहिएं । किसी भी कल्याणकारी सरकार का अंतिम उद्देश्य प्रत्येक परिवार की भलाई होता है । विकास के लिए आम नीतियां और कार्यक्रमों का निर्णय प्रशासन के उच्च स्तरों पर लिया जाता है जो फिर सामाजिक संगठन के सबसे नीचे के स्तर तक पहुंचता है । प्रशासन तंत्र के सर्वोच्च और निम्नतम स्तरों के बीच काफी बड़ा अन्तर होता है और यही कारण है कि गांव के स्तर पर कार्यक्रमों को अमल में लाते समय उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तब तक हल्का पड़ जाता है जब तक कि इस के लिए उचित कदम न उठाए जाएं । गांवों के स्तर पर काम करने वाले लोगों को इस बात का भी पूरा पता नहीं होता कि उच्चतम स्तर पर लिए गए निर्णय का उद्देश्य क्या था ? इसके अलावा, उन लोगों को उद्देश्य पूर्ति के लिए न तो पर्याप्त प्रशिक्षण मिलता है और उनकी कार्यकुशलता में भी निरीक्षक अधिकारियों के प्रयत्नों के बावजूद सुधार नहीं हो पाता है । यदि हम चाहते हैं कि सबसे निचले तबके को योजनाओं का लाभ पहुंचे तो निश्चय ही सरकारी तन्त्र के साथ गांव के लोगों का, विशेष रूप से युवकों का, गठजोड़ होना चाहिए । गांव के युवकों का प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए ताकि वे गांवों के प्रबन्ध और विकास के काम को अपना समझ कर स्वयं ही करें, हां, सरकार का सहयोग उत्प्रेरक के रूप में होगा ही । विभिन्न चालू प्रयोजनाओं में गांवों के युवकों को रोजगार दिलाया जाना चाहिए और इसके बदले उन लोगों का यह कर्त्तव्य होगा कि गांव के प्रत्येक परिवार की भलाई को अपना ही उत्तरदायित्व समझें और यथासंभव उसमें अपना सहयोग दें । विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए गांवों के लोगों का सहयोग और बुनियादी ढांचे के अन्तर को पाटा जाना चाहिए । इस नए दृष्टिकोण के लिए दो बातें अवश्य होनी चाहिए––एक तो लोगों में यह भावना हो कि वे गांव के ही हैं और अपनी सहायता आप करना है । इन धारणाओं पर आधारित प्रणाली का विकास होने पर सबसे नीचे के स्तर पर भी कार्यकुशलता आ सकेगी । इस प्रकार की सेवा-संस्थाओं का मुख्य काम आर्थिक दृष्टि से लाभदायक सामान तैयार करना, सामान मुहैया करना और ग्रामस्तर पर न्यायसंगत प्रशासन प्रदान करना है ।

नई धारणा को अमल में लाना

उड़ीसा के किओनझाड़ जिले के 2108 गांवों में से एक गांव केम्पसारा में इस नई धारणा को अमल में लाने की शुरूआत की गई है । 2 अक्तूबर, 1981 में एक सभा आयोजित की गई जिसमें गांव के सभी बूढ़े–जवानों ने भाग लिया और वर्तमान प्रवृत्ति और विकास के दृष्टिकोण की बारीकी से विवेचना की । गांव के प्रत्येक परिवार की भलाई के लिए उन्होंने कई वैकल्पिक हल ढूंढने के बारे में भी विचार-विमर्श किया । गावों के लोगों को यह भरोसा हो गया कि अगर सरकार अधिकतम पूंजी भी लगाए तो भी हम अपने उद्देश्य को नहीं पा सकते जब तक कि गांवों के लोग स्वयं ही योजनाओं में अपने को पूरी तरह न लगा दें और अपनी सहायता आप की भावना उनमें न हो । उन्होंने यह भी महसूस किया कि आजकल लोगों में धन दौलत और जायदाद बनाने की जो प्रवृत्ति है वह निरा पागलपन है । जीवन तो एक अनवरत क्रम है पर उसकी इति भी है और वह है मृत्यु । यह इति जीवन के तौर-तरीकों और प्रकार को बदल देती है और यह सब मृत्यु से पहले की गतिविधियों और कार्यों पर निर्भर है । व्यक्ति को अपने जीवन का ऐसा रवैया बनाना चाहिए ताकि मृत्यु के पहले के जीवन के काल-खंडों का उद्देश्यपूर्ण उपयोग हो और उससे मानव के बीच के संबंध दृढ़ हों, भाईचारा हो, बजाय इसके कि उनमें एक दूसरे का गला काटने की भावना पनपे । वहां के बूढ़ों और जवानों ने प्रण किया कि वे अपने जीवन का दृष्टिकोण बदल देंगे और जीवन, वातावरण, अपनी सहायता आप–इन तीनों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाएंगे । इस प्रकार केम्पसारा में एक 'प्रक्रिया' ने जन्म लिया है 'प्रायोजना' ने नहीं और इस प्रक्रिया से ग्रामीण भारत में क्रान्तिकारी परिवर्तनों के सूत्रपात होने की आशा पनपी है । 1981-82 के दौरान, केम्पसारा के बाद, इस जिले के शेष खंडों के प्रत्येक गांव में इस प्रक्रिया को चालू किया गया है ।

1982–83 के दौरान, इस जिले के सभी 2108 गांवों में यह प्रक्रिया चालू की गई है । इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि गांवों में आर्थिक दृष्टि से लाभकारी सामान तैयार किया जाए, जनता के लिए सामान तैयार किया जाए और गांव के स्तर पर लोगों को न्याय मिले । गांवों के लोग योजनाओं में पूरी तरह भाग लें और लोगों को अधिकतम संतोष मिल सके । इस योजना के सफल कार्यान्वियन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने हैं :—

1. गांवों के युवकों में और ग्रामवासियों में 'अपनी सहायता आप' की भावना जगाई

ाए और वे ग्राम विकास कार्यक्रमों में पूरी तरह भाग लें ।

2. गांव के युवकों को नीचे लिखे काम सुपुर्द किए जाएं :—

(क) गांव के प्रत्येक युवक को किसी कारगर रोजगार में लगने की आवश्यकता पर विचार किया जाए ।

(ख) प्रत्येक परिवार की वर्तमान आमदनी का हिसाब लगाया जाए और गांव के परिवारों की आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त साधनों या निवेशों का सुझाव दिया जाए ।

(ग) प्रत्येक परिवार की सामाजिक समस्या यानी स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का हिसाब लगाया जाए ।

3. जब ऊपर के सभी आंकड़े मिल जाएं तो खंड विकास अधिकारी और विस्तार अधिकारी गांव के लोगों और युवकों से इस बारे में विचार-विमर्श करेंगे और प्रत्येक युवक व ग्राम के परिवार के लिए आवश्यक निवेशों के संबध में अंतिम रूप दिया जाएगा ।

4. खंड अधिकारी गांव के लोगों के साथ मिल कर विस्तार से सामाजिक और शारीरिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता का हिसाब लगाएंगे ।

5. खंड विकास अधिकारी को, ऊपर बताए गए कामों को अंतिम रूप देने के बाद नीचे लिखी कार्यवाही करनी चाहिए :—

(क) जिला ग्राम विकास प्राधिकरण को कहा जाए कि उस गांव को समन्वित ग्राम विकास के अन्तर्गत विशेष समूह माना जाए, यदि पहले ही ऐसा न किया गया हो तो ।

(ख) युवकों और परिवारों के प्रार्थना पत्र बैंकों को भेजे जाएं ताकि ऋण की मंजूरी और भुगतान किया जा सके और यह भी देखा जाए कि ये काम जल्दी से जल्दी किए जाएं । बेहतर तो यह है कि ऋण की मंजूरी गांव में ही बैंक द्वारा कर दी जाए जहां कि खंड विकास अधिकारी भी मौजूद हो ।

(ग) गांव में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजनाओं और अनुमानित व्यय का हिसाब लगाया जाए । इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि इन कामों में गांव के युवकों और ग्रामवासियों का भी योगदान होगा ।

6. विस्तार अधिकारी 10 से 15 गांवों के प्रबन्ध व विकास के लिए उत्तरदायी होगा । प्रत्येक गांव में निचले स्तर पर एक कार्यकर्त्ता होगा जो कि भली भांति प्रशिक्षित होगा और गांव के परिवारों के कल्याण की देखरेख के लिए सुशिक्षित होगा । विस्तार अधिकारी गांव के उस कार्यकर्त्ता से आसानी से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं ताकि गांव के विभिन्न विकास कार्यक्रमों को कारगर ढंग से क्रियान्वित किया जा सके ।

7. गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए खंड विकास अधिकारी को चाहिए कि वह विभिन्न अधिकारियों से सलाह मश्वरा करे । ग्रामस्तर पर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि वे जमीन के झगड़ों और दूसरे स्थानीय झगड़ों को सुलझाने में सहायता करें ।

इस व्यवस्था को अमली रूप देने के लिए एक संगठनात्मक ढांचा भी निचले स्तर पर तैयार किया गया है । विकास खंड में आमतौर पर एक खंड विकास अधिकारी और 8 या 10 विस्तार अधिकारी होते हैं । एक खंड में औसतन 150 से 200 गांव होते हैं । प्रत्येक विस्तार अधिकारी को 10 से 15 गांवों के सभी कल्याण संबंधी कामों का पूरा उत्तरदायित्व सौंपा गया है । विस्तार अधिकारी अपने गांवों में महीने में कम से कम एक चक्कर लगाता है ताकि वह योजनाओं के ठीक कार्यान्वयन के बारे में लोगों से बात कर आश्वस्त हो सके । सबसे चुनौती भरा काम तो लोगों को उन कामों के प्रति प्रेरित करना है । इसलिए संचार की एक सीढ़ी-दर-सीढ़ी व्यवस्था है । सबसे नीचे के स्तर पर है ग्रासरूट वर्कर यानी निम्नतम कार्यकर्त्ता और सबसे ऊपर है खंड विकास अधिकारी । गांवों के मामलों के प्रबंध में यही कार्यकर्त्ता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है । वह सरकारी कर्मचारी नहीं होता । वह उसी गांव का होता है जिसके प्रत्येक व्यक्ति और परिवार का उत्तरदायित्व वह संभालता ह । इस व्यवस्था में उसका उत्तरदायित्व भी इस प्रकार का है कि वह सफलता से अपना कर्त्तव्य निभा सके । इस व्यवस्था में गांव के कार्यकर्त्ता, विस्तार अधिकारी, खंड विकास अधिकारी प्रमुख अंग हैं जिन्हें अपनी विचार प्रक्रिया और कार्य के लिए इस तरह प्रशिक्षित किया जाता है कि वे गांव के अच्छे प्रबन्ध व विकास में योगदान कर सकें । किओनझाड़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक सुन्दर स्थान गोनासिका में "गांव के मामलों के प्रबन्ध का संस्थान" खोला जा रहा है । प्रशिक्षण व प्रेरणा देने में इस संस्थान को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है ताकि यह व्यवस्था देश के करोड़ों ग्रामवासियों की महत्वकांक्षाओं को पूरा करने में उपयुक्त ग्रामीण वातावरण तैयार कर सके ।

समाचार पत्रों तथा दूसरे संचार साधनों से यह मालूम होता है कि देश के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक क्षेत्रों में संकट व्याप्त है । यह सच भी हो सकता है, या हो सकता है सच न भी हो । केवल देश के संकटों के बारे में हो-हल्ला करने का कोई लाभ नहीं है जब तक कि हम सुधार के उपाय न सुझाएं । सबसे ज्यादा कारगर तरीका यही है कि शुरुआत नीचे से की जाए न कि ऊपर से । इसी तरीके को ध्यान में रखा गया है "केम्पसारा" धारणा में । यदि इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक अमल में लाया जाता है तो युवकों की शक्ति के सदुपयोग का सुअवसर मिलेगा ताकि उसे उत्पादक कामों में लगाया जा सके, साथ ही गांव से शहरों की तरफ जाने वाली लोगों की बाढ़ रुकेगी, इस प्रकार लोगों में संतोष बढ़ेगा और ह्रासोन्मुख मानव मूल्यों व सामाजिक व्यवस्था का पुनर्स्थापन हो सकेगा ।

भारत में ग्राम विकास व प्रबन्ध का 'केम्पसारा' ही सही जवाब है जिससे देश में उपयुक्त सामाजिक व्यवस्था फिर से स्थापित हो सकेगी । □

अनुवाद :

ब्रजलाल उनियाल,
के-38 एफ, साकेत,
नई दिल्ली-110017

अच्छे पोषाहार के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता

✳

सी० गोपालन्

हमारे देश में जिन शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है या जिन पर बहुत कार्य हुआ है, संभवतः उनमें से दो शब्द "गहन" और समन्वय" सबसे मुख्य हैं। पर दुर्भाग्यवश इन शब्दों के प्रयोग और अर्थ तथा किए गए कार्य के बीच जो संबंध है, वह विरोधाभासपूर्ण है। ऐसा ही पोषाहार कार्यक्रम के सम्बन्ध में हुआ है। एक जबर्दस्त उदाहरण घेंघा (गलगण्ड) नियन्त्रण कार्यक्रम का है जो केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्यों के स्वास्थ्य विभागों, नमक आयुक्त और हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड तथा इन सब और रेलवे के बीच समन्वय के अभाव में पिछले 20 वर्षों से लटक रहा है। जब सिर्फ एक कार्यक्रम का यह हाल है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि पोषाहार जैसे व्यापक समन्वय चाहने वाले कार्यक्रम को किन-किन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। चाहे कितने ही अधिक प्रयत्न क्यों न किए जाएं, हमारे लोगों के पोषण में सुधार एक या दो सरकारी विभागों के किसी एक कार्यक्रम का भाग बन कर नहीं लाया जा सकता। पोषण की समस्या बहु आयामी है और विस्तृत क्षेत्रों जैसे कृषि, खाद्य, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण श्रम और रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा में इसकी जड़ें हैं। इसलिए पूरे राष्ट्र के लिए पोषाहार नीति तैयार करने और उसे लागू करने के लिए समुचित राजनैतिक ढांचे और प्रशासनिक अधिकरण पर आधारित अंतर मंत्रालय कार्य-प्रणाली अत्यन्त आवश्यक है।

उद्देश्य

स्वास्थ्य की ही तरह पोषण भी एक सकारात्मक गुण है। स्वस्थ होने का अर्थ रोग-विहीन न हो कर अच्छे स्वास्थगुण का सकारात्मक रूप दिखाना है। इसी तरह पोषाहार का अर्थ यही नहीं है कि भर पेट खाना मिले अथवा अल्प पोषण सम्बन्धी बीमारी न हो, बल्कि वास्तविक सकारात्मक रूप में अच्छी दैहिक स्थिति होना है। पोषाहार पर हमारी राष्ट्रीय नीति हमारे लोगों में इसके सकारात्मक रूप के विकास और परिरक्षण का उद्देश्य लिए हुए होनी चाहिए। इसका तात्पर्य है कि इस नीति के अनुसार हमारे गरीब से गरीब लोग भी इस प्रकार का संतुलित आहार प्राप्त करें जो मानव शरीर की दैनिक क्रियाओं की आवश्यकतानुसार पोषण मानों को प्रदान करने वाला हो तथा जो कम से कम खर्चीला हो ताकि लोगों का अच्छा विकास हो सके। साथ ही उसमें रचनात्मक और उत्पादन कार्य में सक्षमता पूर्ण आनुवांशिक संभाव्यता हो।

यहां यह कहना पुनः जरूरी है कि हमें केवल विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादनों में आत्म निर्भरता प्राप्त करके ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए, अपितु गरीबी पर इस प्रकार कड़ा प्रहार करना होगा, कि वह समूल नष्ट हो जाए क्योंकि कुपोषण की सहजननी गरीबी ही है। इस प्रकार राष्ट्रीय पोषाहार नीति का उद्देश्य आहार, सामाजिक आर्थिक और पर्यावरण समस्याओं पर काबू पाना है। क्योंकि पोषाहार की समस्या के मूल में यही तत्व निहित है। इसके लिए कोई छोटा मार्ग या संक्षिप्त नीति नहीं है।

इस प्रकार की राष्ट्रीय पोषाहार नीति निम्नलिखित छः मुख्य बातों पर आधारित होगी :–

1. आवश्यक खाद्यों (केवल अन्न ही नहीं) के मामले में राष्ट्रीय आत्म-निर्भरता।
2. परिवार नियोजन और जनसंख्या नियन्त्रण।
3. गरीबी हटाओ कार्यक्रम लागू करना और सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को दूर करना।
4. शिक्षा-विशेषकर महिलाओं में शिक्षा का प्रसार।
5. प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण शुद्ध जल और जल-मल निकास
6. वर्तमान उपलब्ध प्रौद्योगिक साधनों द्वारा पोषाहार के अभाव में होने वाली मुख्य बीमारियों का तुरन्त उन्मूलन।

पोषाहार समस्या पर हम जब तक इतने बड़े पैमाने पर कार्य नहीं करेंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। ऐसी राष्ट्रीय पोषाहार नीति जो केवल भूख और अकाल की स्थिति उत्पन्न न होने देने, अथवा कुपोषण जन्य बीमारियों से मरने वाले बच्चों को बचाने के कार्य तक ही सीमित हो, परन्तु गरीबी और कुपोषण उत्पन्न करने वाले कारकों पर प्रहार न करती हो, केवल वर्तमान पोषाहार समस्या को स्थायी बनाएगी और हमारे मानव संसाधनों में कमी लाएगी। पोषाहार में मदद, पुनर्वास निर्माण कार्य या पूरक प्राशन कार्यक्रमों द्वारा कोई ज्यादा कार्य नहीं किया जा सकता।' कुपोषण से पीड़ित बच्चे को प्रयास करके बचाया तो जा सकता है, परन्तु उसे वास्तविक स्वास्थ्य नहीं प्रदान किया जा सकता। कुपोषण से बचे ऐसे लोगों का एक ऐसा वर्ग बनेगा जो जीवन भर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से कमजोर होगा। राज्यों के व्यापक स्तर पर पोषाहार कार्य क्रम अनुत्पादक हैं और व्यर्थ हैं क्योंकि अधिकतर राज्यों में केवल 50 प्रतिशत का ही लाभ वास्तविक लोगों तक पहुंच पाता है। बाकी का 50 प्रतिशत रास्ते में ही खो जाता है।

मैं यह मानता हूं कि जिस स्थिति में हम हैं, इस प्रकार के सहायता कार्यक्रमों और पूरक खाद्य कार्यक्रमों आदि को पूर्णतः अमान्य नहीं कर सकते। जब तक बाढ़, सूखा, भूखमरी आदि से कुपोषण की स्थिति बनी रहेगी, तब तक यह कार्यक्रम आवश्यक रहेंगे। परन्तु राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत इन योजनाओं को मुख्य आधार न बनाकर केवल आपातकालीन साधन मानकर ही चलना चाहिए। हमारे अंतिम लक्ष्य के लिए जोकि सबके लिए पोषाहार है, इन साधनों द्वारा व्यवधान नहीं आना चाहिए।

गलगण्ड, पोषणजन्य अन्धता और रक्तालूपता आदि कुछ ऐसी पोषाहार समस्याएं हैं, जिनका राजनैतिक इच्छा और प्रशासनिक समर्थन प्राप्त होने पर अगले दस वर्षों में पूर्ण उन्मूलन हो सकता है। इन समस्याओं के समाधान हेतु, हमारे पास आवश्यक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और वर्तमान सामाजिक आर्थिक दबावों के बावजूद उसे प्रयुक्त किया जा सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए कम से कम गरीबी उन्मूलन तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी राष्ट्रीय पोषाहार नीति में इन रोगों का अगले 10 वर्षों में उन्मूलन कर देना प्रमुख अंग होना चाहिए।

पोषाहार की कमी का उन्मूलन

शायद इस क्षेत्र में पिछले दो दशकों में हमने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। विश्व के देश जो पोषाहार की अच्छी स्थिति में हैं, सभी आवश्यक खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हैं। पर ऐसे विशाल विकासशील देश के लिए जिसके पास अल्प साधन हों, और भारी मांगें हों, खाद्य के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लेना, उल्लेखनीय बात है जबकि खाद्य के विश्व राजनीति में एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा हो। कच्चे माल के उत्पादन में मात्र 5 प्रतिशत की कमी भी हमारी अर्थव्यवस्था पर आघात कर सकती है। भारत प्रकृति संपदा से परिपूर्ण है जिसके कारण यह आत्म-निर्भरता प्राप्त हुई है। जहां तक खाद्यान्न उत्पादन का सम्बन्ध है, हमारा पिछला रिकार्ड प्रभावी रहा है। यह इस परिप्रेक्ष्य में और भी महत्वपूर्ण है कि खाद्यान्न उत्पादन जनसंख्या वृद्धि के बावजूद भी बढ़ा है जबकि परिवार नियोजन कार्यक्रम से जनसंख्या वृद्धि कोई खास नहीं रुक पायी है। पर हमें कृषि उत्पादन का यह रिकार्ड यहीं तक सीमित नहीं रखना है, वरन् अगले दो दशकों में उसे और भी बढ़ाना है। केवल खाद्यान्न के मामले में उत्पादन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। हमें दलहन, खाद्य तेल, दूध और मछली आदि के उत्पादन बढ़ाने के प्रयास भी करने होंगे।

हरित क्रांति के प्रारम्भ से ही हमारी कृषि नीति में पोषाहार पर बल दिया जाने लगा था। इसी का परिणाम है कि उत्पादन-बढ़ाने के लिए जब नई किस्मों का सुझाव और प्रयोग किया गया, तो यह भी बात ध्यान में रखी गई कि इन किस्मों में ज्यादा उपज क्षमता के साथ-साथ पोषणमान भी पर्याप्त व ज्यादा हो। यह सौभाग्य की बात है कि हमारी नई विकसित किस्में ज्यादा पोषण गुण युक्त हैं। हमने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए पोषण गुण का परित्याग नहीं किया। परन्तु खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि की ज्यादा मांग के कारण अधिक प्रोटीन और ऊर्जा-युक्त भोजन प्रदान करने वाली दालों और खाद्य तेलों की फसलें उपेक्षित रह गई। हमें संतुलित उत्पादन वृद्धि को ध्यान में रखकर उत्पादन करना होगा। हमें अपने खाद्यान्न उत्पादन को पिछली गति से ही आगे बढ़ाना जारी रखते हुए आने वाले वर्षों में दलहन उत्पादन पर विशेष ध्यान देना होगा।

खाद्य तेलों और दूध की मांग और उपलब्धता के बीच खाई एक जबर्दस्त चुनौती है जबकि प्रति दिन प्रति व्यक्ति दूध की आवश्यकता मात्र 5 औंस सिफारिश की गई है। इन आंकड़ों से हमें अगले दशकों में इनके उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्देश मिलते हैं जिनके लिए हमें संघर्ष करना है।

उपर्युक्त कथन में हमने मांस, मछली और अण्डे आदि के बारे में बात नहीं की है, क्योंकि मुख्यतया हमने गरीबों के भोजन पर विचार किया है। फल और सब्जियों के बारे में भी चर्चा नहीं की गई है क्योंकि इनके आंकड़े अनुपलब्ध हैं। समुद्री भोज्य पदार्थ और कन्द-मूल फलों पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए।

जन संख्या नियन्त्रण

आवश्यक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयासों में जनसंख्या नियंत्रण भी उतना ही महत्व पूर्ण कार्यक्रम है जितना कि कृषि विकास। परिवार नियोजन, स्वास्थ्य और पोषाहार के विकास का महत्वपूर्ण अंग है— विशेषकर गरीब तबकों के लिए। दुर्भाग्य-वश, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन कार्यक्रम की खाद्य उत्पादन कार्यक्रम से तुलना करें तो पहला कार्य-क्रम इतना प्रभावी नहीं रहा है। 1981 की जनगणना के आंकड़ों से यह तथ्य स्पष्ट होता है। एक विशद जनसंख्या नीति हमारे स्वास्थ्य, पोषाहार और रोजगार नीति का अभिन्न अंग होनी

चाहिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम को केवल "नियोजन" तक ही सीमित न रख कर इसे परिवार, स्वास्थ्य, पोषण, बाल-कल्याण और परिवार की न्यूनतम आय आदि के साथ गहनता से जोड़ना चाहिए।

गरीबी उन्मलन

गरीबी अकेली ऐसी गंभीर समस्या है जो वर्तमान पोषाहार समस्या की जनक है। गरीबी का उन्मूलन और सामाजिक-आर्थिक असमानता को दूर करना अविजित चुनौती का रूप ले चुके हैं। मैं इस बारे में आश्वस्त हूं कि हमारे पास ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा हम सन् 2000 व इसके आगे भी राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस संबंध में मैं नव-माल्थसवाद की प्रलय के बारे में आशंकाओं को नहीं मानता। लेकिन पिछले 30 वर्षों के दौरान सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को हटाने या कम करने में भी हम सफल नहीं हुए हैं, जो एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। 30 साल पहले पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत भूखे लोगों का अमीर देश है। यही परिचय अब भी दिया जा सकता है। यद्यपि अब स्थिति इतनी भयावह नहीं है। इस बारे में दो राय नहीं हैं कि हमने दुर्भिक्ष और सूखे की स्थिति को समाप्त कर दिया है पर कुपोषण अभी भी शोचनीय अवस्था में है।

इस प्रकरण में हमें प्रधानमंत्री के नए बीस सूत्री कार्यक्रम को अपनाना है जिसमें कि समन्वित ग्राम विकास और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को प्रमुखता दी गई है। नवीन रोजगार अवसर प्रदान करना और न्यूनतम मजदूरी लागू करना, अच्छे गरीबी विरोधी साधन हैं। अगले दशक के दौरान प्रस्तुत होने वाली पोषाहार की स्थिति मुख्यतः इस कार्यक्रम को लागू करने में दक्षता, लगन और त्याग की भावना पर निर्भर करेगी। कुछ राज्यों में जिस प्रकार "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था और उसमें अच्छी दिलचस्पी दिखाई थी उसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम लागू करना चाहिए। परन्तु "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम जिन कारणों से असफल रहा उन कमियों को नए कार्यक्रम में दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय जो कैलोरी का तरीका, (ग्रामीण हेतु 2400 व शहरी हेतु 2100 कैलोरी योजना आयोग द्वारा सिफारिश की गई हैं) नहीं अपनाना चाहिए। पोषाहार का तात्पर्य कैलोरी आवश्यकता से कुछ अधिक है। न्यूनतम वेतन इतना तो मिलना ही चाहिए कि मिलने वाले पारिश्रमिक के दो तिहाई अंश से, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा 1981 में निर्धारित, संतुलित लागत आहार प्राप्त हो सके। न्यूनतम मजदूरी का तात्पर्य भुखमरी से बचाव न होकर पोषाहार उपलब्ध कराना होना चाहिए। यह धारणा कि मजदूरी बढ़ा कर गरीबी स्तर से लोगों को कुछ ऊपर उठाने से उनके स्वास्थ्य और पोषाहार में अपने आप सुधार आ जाता है, विशेषकर बच्चों और महिलाओं के मामले में, व्यावहारिक अनुभव पर खरी नहीं उतरती है।

माताओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषाहार बीमा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का अभिन्न अंग होनी चाहिए। हम यह जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच दयनीय स्थिति में है। यह भी हम जानते ही हैं कि स्वास्थ्य परम्परा में पोषाहार को बहुत कम प्राथमिकता दी गई है। इन हालातों में पोषाहार कार्यक्रम को स्वास्थ्य प्रणाली के प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विभाग के भरोसे छोड़ देना न्यायपूर्ण नहीं है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बृहत् लाभ, उसमें पोषाहार कार्यक्रम को अभिन्न अंग बना कर चलाने पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में ग्राम विकास या ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कुल खर्च का 10 प्रतिशत स्वास्थ्य और पोषाहार पर खर्च करना चाहिए।

शिक्षा की भूमिका

परिवार के स्वास्थ्य और पोषाहार में सुधार लाने में मुख्य भूमिका शिक्षा की है—विशेषकर महिला शिक्षा की। पोषाहार की राष्ट्रीय नीति में इसे महत्वपूर्ण साधन समझना चाहिए। स्थानीय उपलब्ध सस्ते भोज्य पदार्थों का सही चुनाव, उपलब्ध भोजन का परिवार में संतुलित वितरण, उचित बाल आहार, बच्चों का स्तनपान छुड़ाना और शिशु-पालन तथा साधारण बीमारियों से प्रतिरक्षण आदि की शिक्षा गृहस्थ महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। ऐसी शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं है कि पैसे अथवा समय खर्च किया जाए। यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की कम शिक्षित और यहां तक कि अशिक्षित महिलाओं को भी मात्र 12 सप्ताह का प्रशिक्षण देने पर जन-स्वास्थ्य रक्षक अथवा ग्राम स्वास्थ्य सेविका के समकक्ष बनाया जा सकता है जो ग्रामीण समुदाय को स्वास्थ्य संबंधी सलाह देने में और यहां तक कि उन्हें साधारण दवाइयां देने के योग्य हो सकती हैं। यदि यह सच है तो प्रत्येक गृहस्थ महिला को महिला मण्डलों द्वारा प्रशिक्षित करके इस बात की शिक्षा भली-भांति दी जा सकती है। ऐसा कल्पनाशील कार्यक्रम दीर्घावधि तक चलाया जा सकता है ताकि गरीब ग्रामीणों का पोषाहार स्तर ऊंचा उठाया जा सके और ग्राम विकास कार्यक्रम सही माने में सफल हो। पाठशालाओं में बच्चों को भी पोषाहार के संबंध में भली प्रकार जानकारी व शिक्षा दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने स्कूलों द्वारा स्वास्थ्य और पोषाहार शिक्षा का ग्रामीण क्षेत्रों में सफल प्रदर्शन किया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विकसित व्यापक स्कूल स्वास्थ्य सेवा, जिसमें मात्र बच्चों की आवधिक स्वास्थ्य जांच न करके उन्हें उचित उपचार देना, बीमारी का बाद में भी पता लगाते रहना, कुपोषण का उपचार, स्वास्थ्य और पोषाहार की शिक्षा

देना तथा सामुदायिक स्वास्थ्य और पोषाहार को शिक्षा आदि भी सम्मिलित हैं, अभी लागू होने की प्रतीक्षा में हैं। अच्छे परिणाम के लिए आय वृद्धि के कार्यक्रम, स्वास्थ्य और पोषाहार कार्यक्रम तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा पूरे समुदाय को लाभान्वित करना होगा।

हमें रेडियो और दूरदर्शन माध्यमों का भी इस कार्यक्रम में और अधिक प्रभावी तरीके से उपयोग करना होगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल

बच्चों में कुपोषण के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक दस्तों की बीमारी है। यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के 50 प्रतिशत बच्चे वर्ष में कम से कम एक बार इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। इनमें से 10 प्रतिशत बीमारी ग्रस्त बच्चे गंभीर जल-अल्पता के प्रकोप में आ जाते हैं जो या तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं अथवा गंभीर रूप से अल्प पोषण ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यदि यही रुख रहा तो 1991 तक ऐसे 280 लाख बच्चे इस बीमारी के प्रकोप से ग्रस्त होंगे। समय पर मुंह द्वारा पानी की पूर्ति करने पर अकाल मृत्यु से बचाव किया जा सकता है। परन्तु इसका दीर्घकालीन हल स्वच्छ जल, जल-मल निकास व व्यक्तिगत स्वच्छता द्वारा ही संभव है।

सामाजिक समस्याएं

तीन मुख्य समस्याएं जो वर्तमान गरीबी के होते हुए भी हल की जा सकती हैं, गलगण्ड, पोषण-जन्य-अन्धता और रक्ताल्पता हैं। राष्ट्रीय गलगण्ड नियन्त्रण कार्यक्रम की असफलता इससे संबंधित विभागों में सामंजस्य न होने के कारण मौजूद है। यदि आवश्यक प्रशासनिक सहायता और राजनैतिक इच्छा हो तो इस समस्या का निराकरण अगले 10 वर्षों में संभव है।

विटामिन "ए" की कमी (पोषण जन्य अन्धता नियन्त्रण) दूर करने का कार्यक्रम राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान की प्रेरणा से शुरू किया गया था। इस क्षेत्र में भारत अग्रणी है और यहां विकसित की गई प्रौद्योगिकी को दूसरे देशों में भी प्रयुक्त किया गया है।

साधारण नमक में लौह तत्व को बढ़ाए जाने की प्रौद्योगिकी का परीक्षण और प्रयोग भी राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान द्वारा किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि खाद्य मंत्रालय और खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड ने इस कार्यक्रम में पूरी दिलचस्पी दिखाई है तथा इसे आगे बढ़ाने में हर संभव समर्थन दिया है।

अगले दो दशकों के दौरान ग्रामीण कार्यक्रम और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लागू होने के बावजूद भी ग्रामीण इलाकों से शहरी क्षेत्रों के लिए श्रमिकों का पलायन जारी रहेगा। इससे शहरी स्लम क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों की पोषाहार समस्या चिन्तनीय होगी। स्तन-पान की समस्या भी एक गंभीर मामला है। अधिकाधिक महिलाओं के नौकरी पेशा होने तथा बेबी-फूड निर्माताओं की ओर से जबर्दस्त विज्ञापन बाजी के फलस्वरूप महिलाएं स्तन-पान के महत्व को नहीं समझती हैं। इससे शिशुओं को स्तन-पान का पोषक और स्वास्थ्य वर्द्धक आहार नहीं मिल पा रहा है। राष्ट्रीय पोषाहार नीति के अन्तर्गत इसे महत्व देना चाहिए तथा इसके निदान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिएं। हमारी रोजगार नीति के अन्तर्गत छोटे बच्चों के लिए क्रैच बनाना तथा काम के स्थान पर स्तन-पान की सुविधा का प्रबन्ध महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए।

पोषाहार नीति और आयोजन

अन्त करने से पहले, पोषाहार कार्यक्रम की विशाल एवं संभावी रूपरेखा मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत नीति, आयोजन व सामंजस्य हैं। मैं यह सुझाव पहले ही रख चुका हूं कि प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में पोषाहार पर एक मंत्रिमण्डलीय समिति बने जो कम से कम छः महीने में एक बार पोषाहार स्थिति का अवलोकन करे तथा आवश्यक कदम उठाने के सुझाव दे। पोषाहार स्थिति की सही तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए, जिसमें हर पक्ष का पूर्ण अध्ययन और आंकड़े हों, हर छः महीने में अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जाए। इसमें कमियों, उपलब्धियों आदि का भी समावेश होना चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय में पोषाहार सलाहकार के कार्यालय का विस्तार किया जाना चाहिए जो कि वर्तमान में बहुत कम महत्व का है। यह भी आवश्यक है कि शिक्षा मंत्रालय में एक पोषाहार कक्ष की स्थापना की जाए। ऐसा ग्रामीण विकास और समाज कल्याण मंत्रालय में भी किया जाना चाहिए।

अगले 20 वर्षों में हम निश्चय ही राष्ट्रीय पोषाहार स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार ला सकेंगे। मुझे कृषि क्षेत्र में सफलता पर तनिक भी संदेह नहीं है। पर यह हमें गरीबी विरोधी मंच पर ही देखना है क्योंकि वास्तविक निर्णायक क्षेत्र वही है तथा पोषाहार के लिए असली लड़ाई वहीं लड़ी जाएगी जिसे अवश्य जीतना होगा। □

अनुवाद : हनुमान सिंह पंवार
51, मंदिर वाली गली,
यूसुफ सराय, नई दिल्ली-110016.

तेल की हर बूंद कीमती है, इसे बचाइए !

शिक्षा और आर्थिक विकास

आर० सी० भटनागर
टी० आर० सिंह

विश्व का प्रत्येक देश आज आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील है परन्तु यह आर्थिक विकास, एशिया तथा अफ्रीका के अल्प-विकसित देशों के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है । विकास की प्रक्रिया में पूंजीगत भौतिक साधनों को विशिष्ट स्थान दिया जाता है । इनका पर्याप्त मात्रा में सुलभ होना विकास के लिए हितकर है । यह मान्यता काफी सीमा तक सत्य होते हुए भी विकास की जटिल प्रक्रिया के केवल एक पक्ष को ही स्पष्ट करती है क्योंकि अब इस तथ्य को स्वीकार किया जाने लगा है कि विकास प्रक्रिया पर गैर-आर्थिक तत्व के रूप में, मानवीय संसाधनों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है । इन मानवीय संसाधनों का गुणात्मक पहलू जितना कमजोर होगा, आर्थिक विकास की प्रक्रिया उतनी ही धीमी और निराशाजनक हो जाती है । इसके विपरीत इस पक्ष के सशक्त होने पर आर्थिक विकास की प्रक्रिया तीव्र और सरल हो जाती है । यह निर्विवाद है कि मानवीय संसाधनों के गुणात्मक पहलू को सुदृढ़ बनाने में शिक्षा की भूमिका विशिष्ट है । इस लेख में इस बात की जांच का प्रयास किया गया है कि भारतीय परिस्थितियों में आर्थिक विकास के क्रम को बनाये रखने अथवा तेज करने में, शिक्षा का क्या योगदान हो सकता है ।

1981 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 63.38 करोड़ है । इसमें केवल 36.17 प्रतिशत लोग ही साक्षर हैं अर्थात् 63.83 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं । स्त्रियों में निरक्षरता का अनुपात और भी अधिक है । विकसित देशों का अनुभव इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा और आर्थिक विकास में सीधा सम्बन्ध होता है । साक्षर व्यक्ति नए विचारों और परिवर्तनों के प्रति अधिक जागरूक होता है । उसमें उचित व अनुचित के बीच भेद करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है । देश और समाज की समस्याओं के प्रति उसकी रुचि बढ़ जाती है और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करना वह अपना कर्तव्य समझता है । दुर्भाग्यवश भारत अपने विशाल अशिक्षित जनसमुदाय के बोझ से त्रस्त है । वर्ग-भेद, जातिभेदवाद, भ्रष्टाचार, निर्धनता, उदासीनता, भाग्यवादिता, औद्योगिक अशांति, दहेज व्यवस्था और परम्परागत खेती इसी निरक्षरता का परिणाम हैं । यह सामाजिक एवं आर्थिक बुराइयां देश के लिए अभिशाप बनकर विकास प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती हैं । शिक्षा के विकास एवं विस्तार से इन बुराइयों का निवारण करते हुए, आर्थिक प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करना सम्भव है ।

आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ी खेती, निम्न उत्पादकता, सीमित आय, निर्धनता, बेकारी, बड़े परिवार, शारीरिक श्रम के प्रति दोषपूर्ण दृष्टिकोण, औद्योगिक झगड़े, श्रम-संघों की दोषपूर्ण भूमिका आदि कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जिनके रहते देश के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना को साकार करना कठिन ही नहीं असम्भव भी है । देश के तीव्र आर्थिक विकास का लक्ष्य इन्हीं समस्याओं के निवारण में निहित है ।

"कृषि"

देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित है परन्तु राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान केवल 50 प्रतिशत है जो अनुपात से कम है । तीन-चौथाई जनसंख्या का राष्ट्रीय आय में योगदान भी तीन-चौथाई अथवा उससे अधिक होना चाहिए । इस योगदान के कम होने का कारण केवल यह है कि कृषि का स्वास्थ्य सन्तोषजनक नहीं । उसकी इस कमजोर स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं वे असंख्य किसान जो भाग्यवादिता की दुहाई देकर अकर्मण्यता का सहारा लेते हैं, जो अपने भविष्य के प्रति उदासीन हैं और जिन्होंने वर्तमान की कठिन परिस्थितियों से समझौता कर लिया है । ये लोग नवीनता से प्रभावित नहीं हुए और अपनी अज्ञानता के अन्धकार में महाजन के अतिरिक्त, वित्तीय सहायता का कोई अन्य स्रोत देख नहीं पाते । इन्हें सहकारी खेती की अपेक्षा, निर्धनता से अभिशप्त छोटी-छोटी जोतों पर व्यक्तिगत खेती ही बेहतर दिखाई पड़ती है । सहकारी बिक्री इन्हें अप्रिय है, चाहे व्यक्तिगत बिक्री में यह निरन्तर अपना शोषण करवाते रहें । मुकद्दमेबाजी इनका प्रिय व्यवसाय है और इसमें जीतना सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रमाण । ये लोग रूढ़ियों की दलदल में धंसे हैं । अपने को परम्पराओं की बेड़ियों से मुक्त नहीं कर सकते । ऋणग्रस्तता इनके जीवन का अंग है और ये लोग कृषि के प्रति एक व्यावसायिक दृष्टिकोण का निर्माण करने

में पूर्णतः असफल रहे हैं। ऐसे किसान खेती का एक उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत करने अथवा राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने में क्या भूमिका निभा सकते हैं ? यही विशाल समुदाय यदि निरक्षरता की दलदल से निकल कर, अन्य देशों की तरह शिक्षा की उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाए तो अधिक विवेकशील बनकर सहकारी खेती, सहकारी-बिक्री, सहकारी-साख, उन्नत बीज व खाद तथा भूमि के बेहतर प्रयोग की दृष्टि से "फसल नियोजन" की व्यवस्था को अपना सकता है। समाज और राष्ट्र के प्रति दायित्वपूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन करते हुए, राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसे किसानों के लिए रूढ़ियों की जंजीरों को तोड़ना अधिक सरल होगा और इन के बीच महाजनी व्यवस्था का बना रहना असम्भव है।

"उद्योग"

इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में "उत्पादन क्रम" को बनाए रखने और सुधारने में भी शिक्षा का विशेष महत्व हो सकता है। उत्पादन क्रम में अवरोध उत्पन्न करने वाले तत्व हैं—अकुशलता, कच्चे माल का दुरुपयोग, अनुपस्थितिवाद, औद्योगिक झगड़े, श्रम-संघों की दोषपूर्ण भूमिका, प्रवासी प्रवृत्तियां तथा कार्य के प्रति श्रमिकों का दोषपूर्ण दृष्टिकोण। इन समस्याओं के निवारण में शिक्षा की विशेष भूमिका हो सकती है क्योंकि शिक्षित श्रमिक अधिक कुशल होता है और उत्पादन वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। उसमें दायित्व की भावना का विकास होता है। वह मधुर औद्योगिक सम्बन्धों के निर्माण में सहायक हो सकता है। शिक्षा उसे अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक बनाती है और वह कारखाने के प्रबन्ध में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए बेहतर प्रबन्ध व्यवस्था में सहायक हो सकता है। शिक्षित श्रमिक से हम इस बात की आशा भी कर सकते हैं कि वह संकीर्ण व्यक्तिगत हितों से हटकर, विशिष्ट परिस्थितियों में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए व्यक्तिगत कठिनाइयों को अधिक महत्व न दे। 1982 के "उत्पादकता वर्ष" की पृष्ठभूमि में यह व्यवहार निर्धारित लक्ष्यों की प्रप्ति के लिए अत्यधिक लाभप्रद हो सकता है।

"बढ़ती आबादी"

इस समय बढ़ती आबादी देश की सबसे बड़ी समस्या है। इसके रहते आर्थिक विकास के समस्त प्रयत्न विफल होते रहेंगे और हमारी पंचवर्षीय योजनाएं विशाल समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहेंगी। वास्तव में इन योजनाओं की उपलब्धियों के प्रखर रूप से सामने न आने का मुख्य कारण है—जनसंख्या का बढ़ता दबाव। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारी अनाज की पैदावार दुगुनी हो गई है और इस्पात का उत्पादन छः गुणा हो गया है। बिजली का उत्पादन 20 गुणा बढ़ गया है। फिर भी हमारी 48 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रहती है। 1971-81 के बीच जो जनसंख्या बढ़ी है वह इस शताब्दी के पहले पचास वर्षों (1901-51) में होने वाली वृद्धि से अधिक है। जनसंख्या नियन्त्रण के समस्त प्रयत्न आज तक इसी लिए उत्साहवर्धक परिणाम नहीं दे सके क्योंकि लोगों ने इस कार्यक्रम को गम्भीरता से नहीं लिया। सरकारी प्रयत्नों को वह व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप मानते हैं और उनकी अज्ञानता उनके सम्भावित सहयोग में बाधक सिद्ध होती है। यदि हम शिक्षा का विस्तार कर सकें, साक्षरता का अनुपात बढ़ा सकें, लोगों के विवेक को जाग्रत कर सकें, तो बेहतर परिणामों को आशा कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में स्त्री शिक्षा पर बल देना और भी आवश्यक है क्योंकि अन्य देशों का अनुभव इस बात का प्रमाण है कि स्त्री शिक्षा में वृद्धि से प्रजनन दर में गिरावट आती है।

1980 में शिक्षा सम्बन्धी एक कार्यदल ने इस बात पर बल दिया कि "देश के आर्थिक विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया जाना चाहिए।" इस सम्बन्ध में यह प्रश्न किया जा सकता है कि यह शिक्षा औपचारिक हो अथवा अनौपचारिक। परन्तु पंचवर्षीय योजनाओं में भी यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि शिक्षा का लक्ष्य "औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को परस्पर गूंथना है।" वास्तव में यह दोनों एक दूसरे की पूरक हैं परन्तु अनौपचारिक शिक्षा, समस्या मूलक होने के कारण भारतीय परिस्थितियों में अधिक प्रभावशाली हो सकती है और इस दृष्टि से गोष्ठियों, वार्ताओं, प्रदर्शनियों, फिल्मों, रेडियो और दूरदर्शन आदि को इसका माध्यम बनाया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि न केवल रेडियो और दूरदर्शन की सुविधाएं प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुंचाएं बल्कि इन पर आयोजित वार्ताओं व कार्यक्रमों को इस ढंग से आयोजित करें कि इन का तत्काल प्रभाव लोगों पर पड़ सके। यह अपने में सर्वाधिक उत्तम शिक्षा-व्यवस्था हो सकती है।

इसका यह अर्थ नहीं कि औपचारिक शिक्षा की उपेक्षा की जाए अथवा इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास बेकार हैं परन्तु ग्रामीण जीवन के प्रारूप और समस्याओं से औपचारिक शिक्षा का तालमेल नहीं बैठता। औपचारिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम को गैर-सरकारी गतिविधियों, सेवा संस्थाओं, स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम, नेशनल कैडेट कोर के विशेष कैम्पों, कृषि विद्यालयों व मैडिकल कालेजों के विद्यार्थियों तथा ग्रामीण युवा दलों की गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। यह संस्थाएं और इनके कार्यकर्त्ता सफाई, वातावरण सुधार, प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवार कल्याण, कृषि सुधार, स्थानीय हस्त कौशल के विकास, पशुपालन, बेहतर बीज और रासायनिक खाद के प्रयोग से सम्बन्धित समस्त प्रयत्नों से जोड़े जा सकते हैं। आत्म-नवीनीकरण की दिशा में भावी आर्थिक जीवन की कल्पनाओं को साकार करने में अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था की उपयोगिता निर्विवाद है। भौतिक साधन चाहे अर्थ-व्यवस्था रूपी शरीर के सुन्दर व सुनहरी बाहरी आवरण का कार्य करें; विकास की आत्मा का कार्य शिक्षा द्वारा ही सम्पन्न किया जा सकता है। □

प्रवक्ता अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग,

बी०एस०एम०

(पोस्ट-ग्रेजुएट) कालेज, रुड़की

पिन-247667

लिफ्ट सिंचाई, समृद्धि लाई

जगमोहन लाल माथुर

राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई योजनाओं से गरीब आदिवासियों को काफी लाभ पहुंच रहा है। प्रस्तुत लेख प्रत्यक्ष अध्ययन के आधार पर लिखा गया है।

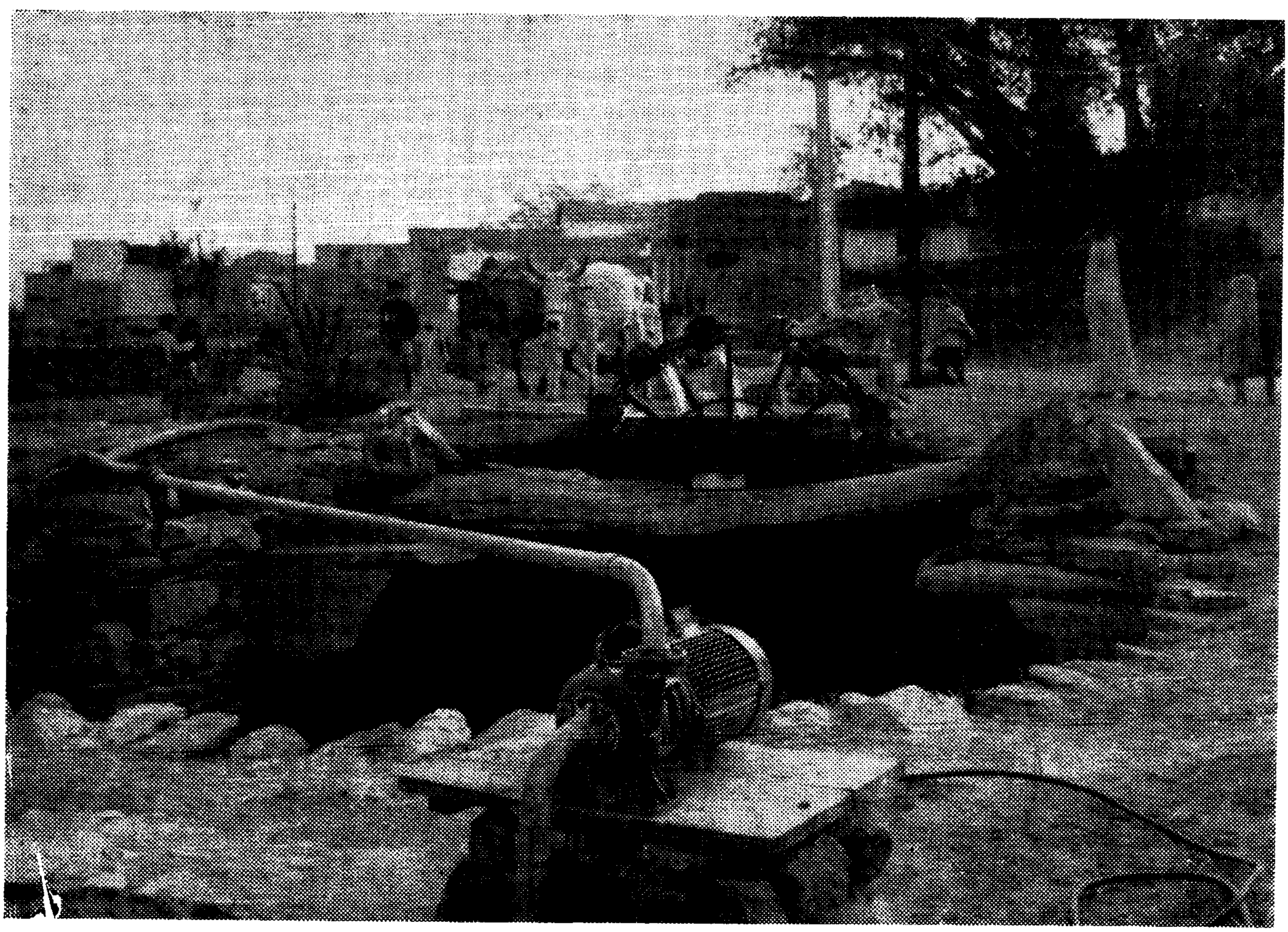

पथरीली जमीन से पानी निकाल कर सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है

प्रकृति की कैसी विडम्बना है कि सारे देश में सुरम्य झीलों के लिए विख्यात उदयपुर नगरी से 10 किलोमीटर की परिधि में ही कई ऐसे गांव हैं जो पानी के लिए तरसते रहे हैं। ऐसा ही एक गांव है कल्लड़वास जहां के किसान कुछ वर्ष पूर्व तक पथरीली धरती में कुएं खोदते-खोदते हार गए पर पानी के दर्शन नहीं हुए। 70 वर्षीय वृद्ध कन्नाजी का कहना है कि गांव के अधिकांश लोग 30 वर्ष में ही इसलिए बूढ़े हो जाते हैं कि वे पथरीली जमीन में बराबर कुएं खोदते रहते हैं और हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। इसी गांव के रूप सिंह ने बताया कि हमने गांव के आसपास के इलाकों में 120 फुट गहराई तक 16 कुएं खोदे पर किसी में पानी के दर्शन तक नहीं हुए। कुछ साल पहले एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग के कुछ अधिकारी यहां आए और जब उन्होंने यह सुझाव दिया कि पास की अयाड़ नदी के तट पर कुआं खोदकर, मोटर बैठाकर वे पाइप से उनके खेतों तक पानी पहुंचा देंगे तो हमें यकीन ही नहीं हुआ। यह निरा सपना लगता था। अब रूप सिंह खेतों में लहलहाती फसलों की ओर हाथ उठाकर यह कहता है कि यह सब हमने कुएं के पानी से ही उगाया है। गन्ना, गेहूं और सब्जी यानी सभी कुछ हम उगाते हैं। न केवल फसल की सिंचाई की व्यवस्था ही हुई है बल्कि पीने के पानी की भी सुविधा हो गई है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधिकारियों ने बताया कि कुएं खोदने में एक बड़ी कठिनाई यह थी कि वे इलाका शमशान भूमि में पड़ता था और उस भूमि का किसी और काम के लिए उपयोग करना सर्वथा वर्जित था। अतः उदयपुर के जिलाधीश को राजस्थान सरकार की विशेष अनुमति लेनी पड़ी। मैं विरोधाभास देख रहा था। एक तरफ जले हुए शव की राख तथा फूटी हांडी पड़ी थी तो उसके पास ही 55 फुट गहरा वह कुआं जो अब गांव वालों के नए जीवन का अमित स्रोत बन गया है। इस कुएं के पास 10 हार्सपावर की मोटर बैठाकर कुएं से पानी खींचा जा रहा है और 735 मीटर लम्बी पाइप लाइन से पानी खेतों में नई जिंदगी देने के लिए ले जाया जाता है।

दबाव की प्रक्रिया से पानी को ऊंचा उठाकर सिंचाई की व्यवस्था करने के प्रयास में लगे ग्रामीण

लिफ्ट सिंचाई योजना के अन्तर्गत हुए इस कार्य से अब 72 बीघा वह जमीन जो पहले बंजर थी, सिंचाई से हरी-भरी हो गई है। लिफ्ट सिंचाई के लिए एक समिति बनाई गई है जिसके 24 सदस्य हैं और रूप सिंह मंत्री हैं। इस काम के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम की ओर से 85 हजार रु० की सहायता मिली है। एक हजार रु० अलग से इस समिति के नाम से बैंक में जमा करा दिया गया है ताकि कुएं और पाइप लाइनों की मरम्मत आदि का कोई जरूरी काम आ पड़े तो कराया जा सके।

इसी तरह कहानी कानपुर-बैडवास गांव की है जहां 72 बीघा जमीन सिंचित होने लगी है और पहाड़ी की तलहटी के नीचे जहां कुछ साल पहले केवल घास के तिनके नजर आते थे वहां नई-नई फसलें अंगड़ाई लेने लगी हैं। यहीं का एक किसान जग्गा है जो पहले केवल निठल्ला था अब एक फसल में तीन हजार रु० के तो केवल टमाटर उगाता है। मिर्ची, धनिया, टमाटर, गेहूं आदि की फसलें यहां सिंचाई से ली जाने लगी हैं। यहां की सब्जियां अब ट्रकों में अहमदाबाद तक जाती हैं।

बात केवल उदयपुर के समीपवर्ती इलाकों की नहीं। उदयपुर से करीब 95 किलोमीटर दूर है—जेताना। वहां भी इसी तरह का चमत्कार हुआ है। इस गांव के पास सोम नदी मंथर गति से बहती है। पर इसके किनारे पड़ी बंजर भूमि में वर्षा होने पर थोड़ी-बहुत मक्की के अलावा कुछ नहीं उगता था। लिफ्ट-सिंचाई से यहां भी नक्शा बदल गया है। सोम नदी के तट पर 15-15 हार्सपावर की 2 मोटर बैठाई गई हैं और पानी ऊंचाई पर लाकर पाइप द्वारा खेतों को सींचा जाता है। इस योजना से 32 आदिवासी लाभ उठा रहे हैं और उनसे लगभग सौ बीघा जमीन सींची जा रही है। यहां भी एक समिति बनी है जिसके अध्यक्ष नाथू हैं। नाथू अब सिंचाई की सुविधा हो जाने से गेहूं, चना और सरसों तक उगा लेता है। राजिंग भी एक आदिवासी किसान है। पहले वह पत्थर ढोने की मजदूरी करता था। अब वह अपनी चार बीघा जमीन में गेहूं व चने की खेती करता है।

कल्लड़वास, कानपुर-वेडवास और जेताना क्षेत्रों में लिफ्ट सिचाई योजनाओं से जैसा लाभ पहुंचा है वैसा ही अरावली पहाड़ियों की गोद में छिपे कुण्डा गांव को भी मिलेगा। इस गांव में पहुंचने के लिए उदयपुर से कुंभलगढ़ जाने वाली सड़क पर कोई 40 किलोमीटर तक पक्की सड़क फिर 8 किलोमीटर कच्चा रास्ता है, जो पहाड़ी के साथ-साथ बना हुआ है। स्टीयरिंग में जरा सी चूक हमें कई फुट गहराई में गिरा सकती थी। जीप रुकी और हम कई फुट नीचे पैदल उतर जाते हैं, जहां एक पहाड़ी नाला निर्झर बह रहा है। पहाड़ की ऊंचाई पर कोई सिचाई की सुविधा नहीं थी। जब शुरू में ही एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधिकारी एस० के० जोशी तथा जे० एस० खमेसरा आए तो लोग यह मानने के लिए कतई तैयार नहीं थे कि पहाड़ की तलहटी में बहने वाले पानी को दो सौ फुट तक की ऊंचाई तक उठाकर ऊपर लाया जा सकता है। अब जब नाले के किनारे-किनारे बिजली के खम्भे पहुंच गए और एक कोठरी में $12\frac{1}{2}$ हार्सपावर की बिजली की मोटर लग गई तब उन्हें कुछ यकीन आने लगा। साथ ही 168 फुट की ऊंचाई पर पानी स्टोरेज चैम्बर बना लिया गया है। वहां पानी इकट्ठा किया जाता है। वहां से खेतों में पानी ले जाने के लिए 360 मीटर लम्बी पक्की नाली बनाई गई है। इससे यहां 42 बीघा जमीन की सिचाई की जाएगी। दीपसिंह का कहना था कि शुरू में हिचकिचाहट थी और तीन-चार व्यक्ति ही समिति में शामिल हुए थे पर अब उनकी संख्या 30–32 हो गई है। इस सुविधा से 42 बीघा जमीन में सिचाई होगी। यहां अब एक विशेष बात यह हो रही है कि दीपसिंह के अलावा, डल्ला भील नामक युवक ने भी इस योजना को सफल बनाने के लिए काश्तकारों को राजी किया। इस योजना से कुछ ही गज की दूरी पर एक नई और सिचाई योजना बनाई जा रही है यह है हाईड्रम योजना जो इस क्षेत्र में पहली है। इसके लिए यहां 3 मीटर लम्बा एनीकट बनाकर एक चौकोर गड्ढे में हाईड्रम मशीन बैठायी गई है। पानी को 10 फुट नीचे गिराकर दबाव की प्रक्रिया से सौ फुट ऊपर उठाएगी। ऊर्जा की बचत इसकी विशेषता है। इसमें न डीजल खर्च होगा और न बिजली।

इस योजना पर शुरू में 70 हजार रु० खर्च बैठता है और मशीन एक प्राइवेट कम्पनी से ली जाती है। इस योजना से सिचाई ही नहीं बल्कि आस-पास के 40–45 कुओं में पानी का स्तर बढ़ जाएगा।

उदयपुर जिला एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सूत्रधार अतिरिक्त जिलाधीश श्री सी० के० मैथ्यू ने बताया कि 1980-81 वर्ष में 6 लिफ्ट सिचाई योजनाएं हाथ में ली गई थीं और सब पूरी हो गई हैं। इनकी लागत कुल मिलाकर 2 लाख 64 हजार रु० बैठी है और इसके लिए एक लाख 40 हजार 250 रु० सहायता के रूप में दिए हैं। इनसे 129 किसानों को लाभ पहुंचा है तथा 87.9 हेक्टेयर अथवा 403 बीघा क्षेत्रों में सिचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। सबसे अच्छी बात यह रही है कि इन योजनाओं में स्थानीय व्यक्तियों का सक्रिय सहयोग लिया गया है। 1981-82 वर्ष के लिए 18 लिफ्ट योजनाएं हाथ में ली गई हैं जिनसे 350 काश्तकारों को लाभ पहुंचेगा।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान समस्त देश में लघु सिचाई परियोजनाओं के द्वारा 80 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें से 70 लाख हेक्टेयर भू-जल संसाधनों द्वारा और 10 लाख हेक्टेयर सतही लघु सिचाई योजनाओं द्वारा यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लघु सिचाई कार्यक्रम में, कुओं का निर्माण करके भू-जल संसाधनों का विकास निजी नल-कूप, गहरे सार्वजनिक नलकूप कुओं को गहरा करना और इनकी बोरिंग आदि तथा लिफ्ट सिचाई परियोजनाएं शामिल हैं। प्रत्येक योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक 2000 हेक्टेयर खेती योग्य कमान क्षेत्र होगा। छठी योजना (1980-85) में लघु सिचाई कार्यक्रमों के लिए 3511.3 करोड़ रुपये के परिव्यय को स्वीकृति दी गई है।□

पत्थर तोड़ कर सिंचाई और पीने के लिए पानी निकालने का प्रयास

दिन में बारात चढ़ रही है ?

- हां, यह एक अच्छी रीत चली है । बेकार का ताम-झाम और बिजली की बरबादी, यह कहां की अक्लमंदी । जब कोई बेटी वाला बेचारा दहेज की फांसी के तख्ते पर चढ़ा होता है तो उसे बिजली का एक-एक बल्ब बिच्छू के डंक की तरह काटता है ।
- हम दहेज को पाप समझते है तभी तो लोग छिपकर दहेज लेने लगे है । पर ये ताम-झाम भी बंद होना चाहिए । बिजली की समाज के लिए उतनी ही जरूरत है जितनी हमारे शरीर के लिए खून की । क्या अपने खून को कोई नाहक बहाता है ?
- 1980-81 में हमने 118 अरब 50 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की । 1981-82 में भी हमारा लक्ष्य 130 अरब यूनिट बिजली तैयार करना है परंतु अभी मंजिल दूर है ।

सामाजिक कुरीतियां मिटाना और राष्ट्र हित के लिए परिश्रम करना हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है

नया 20 सूत्री कार्यक्रम

विस्तृत जानकारी के लिए निम्न कूपन का प्रयोग करें ।

उप निदेशक,
मास मेलिंग यूनिट,
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय,
बी ब्लाक, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली - 110001

नाम ____________________

पता ____________________ पिन __________

नये 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया मुझे हिंदी/अंग्रेजी की पुस्तिका भेजें ।

davp 81/383

खुशहाली की ओर बढ़ते कदम

श्री शिव राम सिंह 'ठाकुर'

स्वाधीनता के साथ विरासत में मिली लंगोटी नवयुवकों के मुरझाए चेहरे और भीतर धंसा पेट, युवतियों की शुष्क छातियों ने राष्ट्र-निर्माताओं और विचारकों को बाध्य किया ऐसे क्रांतिकारी कदमों के क्रियान्वयन के लिए जो तन के आवरणों की परतों का विस्तार कर सकें, चेहरों पर रोशनी बिखेर सकें, पेट की आग बुझा सकें और दुधमुंहे बच्चों की तृप्ति करा सकें। विचारकों ने गांव के अनाथ स्वरूप को बदलने के लिए गहरे पैठकर पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात किया और उसके माध्यम से समन्वित विकास की अनेक धाराएं प्रवाहित कीं। 1952 से आज तक पांच पंचवर्षीय योजनाओं ने आर्थिक क्षेत्र के समस्त अंग-प्रत्यंगों को अपने आगोश में लेकर विकास की सीढ़ी-दर-सीढ़ी पर पग रखने का सफल प्रयास किया तथापि ग्रामीण आवरण की तहों को समय की गति के अनुसार अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई। राष्ट्रनिर्माताओं और विचारकों ने पुनः विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि गांव के गरीबी की रेखा से नीचे के तबके को आवश्यक समस्त सुविधाएं उपलब्ध करने से राष्ट्र का नक्शा बदला जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का गठन कर विकास की जड़ों को गहरा करने और घर-घर पहुंचाने के अभिनव कार्यक्रम का श्रीगणेश किया गया।

कृषि प्रधान होशंगाबाद संभाग के 10 लाख 3 हजार नागरिकों में से 7 लाख 52 हजार नागरिक ग्रामीण परिवेश में निवास करते हैं जिनमें 1 लाख 20 हजार बड़े और छोटे कृषक हैं। इन किसानों को कृषि-कार्य में सहयोग देने के लिए 1 लाख 12 हजार ग्रामीण श्रमिकों के रूप में संबद्ध है। गांव की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति तथा परंपरागत कृषि पर आधारित ग्रामीण उद्योगों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए 12 हजार ग्रामीण अपनी कलाओं को विकसित करने में संलग्न हैं। तथापि गांव की अर्थ-व्यवस्था अत्यधिक पिछड़ी और छिन्न-भिन्न है जिसका प्रभाव सम्यक रूप से राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर परिलक्षित होता है।

इसके अतिरिक्त, नगरों और ग्रामों के बीच असमानता की विभेदात्मक कड़ी जुड़ी हुई है। जब तक इन कड़ियों को सुदृढ़ता का आलम्बन नहीं दिया जाता, उत्थान की कल्पना निरर्थक होगी अतः समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आधार लेकर ग्रामीण धरातल को मजबूत करने का जिहाद छेड़ दिया गया है। इस आंदोलन के अंतर्गत गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों का सर्वेक्षण कर उनका स्तर उर्ध्वगामी किया जा रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर व साधन जुटाने का उपक्रम किया जा रहा है। स्वाधीनता के साथ प्राप्त लंगोटी का परिवेश बढ़ाकर ग्रामीण का सारा तन-बदन आवरणों की तहों में आवृत करने का प्रयास इस कार्यक्रम की विशेषता है। समुन्नति के प्रयास का भागीदार गांव का सबसे गरीब व पिछड़ा, लघु एवं सीमान्त कृषक, ग्रामीण मजदूर, उद्यमी तथा अनुसूचित जाति व जनजाति का व्यक्ति होगा। इस वृहद कार्यक्रम के समुचित ढंग से संचालन के लिए होशंगाबाद संभाग में 7 मार्च 1979 को परियोजना अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की गई जिसका कार्यक्षेत्र संभाग के 9 विकास खंडों तक सीमित था। समय की आवश्यकताओं को देखते हुए बाद में आदिवासी विकास खंड केसला को भी समन्वित विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया और इस प्रकार संपूर्ण संभाग कार्यक्रम के दायरे में समाविष्ट हो गया। 9 जनवरी 1981 को कार्यालय का स्वरूप व दर्जा परिवर्तित कर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की संज्ञा प्रदान की गई।

विकास कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों को सूचीबद्ध करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। सुविधाजनक सर्वेक्षण के लिए प्रत्येक विकास खंड चार समूहों में विभक्त किया गया है और प्रतिवर्ष प्रत्येक विकास खंड के एक समूह का सर्वेक्षण-कार्य संपन्न कर विकास की प्रारंभिक प्रणाली का संपादन 4 वर्षों की अवधि में कर लिया जाएगा।

सर्वेक्षण कार्य के लिए विकास खंड अधिकारी के निर्देशन में संबंधित क्षेत्र में कार्यरत सर्वेयर, शिक्षक, ग्रामसेवक तथा पटवारियों को सर्वेक्षण का दायित्व सौंपा गया है जिनकी कार्य-प्रणाली की देखरेख विस्तार अधिकारी द्वारा की जाएगी। निर्धनता की निचली सीमा को स्पर्श करने वाले परिवारों को प्राथमिकता देकर सर्वप्रथम वित्तीय सहायता की पात्रता

दी जा रही है ताकि वे अपनी वैकल्पिक व्यवसाय चुनकर अतिरिक्त आय के साधन जुटा सकें। वर्ष 1981-82 में प्रत्येक विकास खंड की परिधि से 600 परिवारों का चयन कर संभाग के कुल 6 हजार परिवारों को बैंक की वित्तीय सहायता के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था की गई और यह प्रक्रिया 1984-85 तक चालू रहेगी ताकि सहायता के दायरे में सभी पंचायतों और ग्रामों की योजना की तुला पर खरे उतरने वाले समस्त परिवार समाविष्ट किए जा सकें।

ट्राइसेम योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार की स्थापना के उद्देश्य से ग्रामीण नवयुवकों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित करने की दिशा में ट्राइसेम योजना अधिक कारगर और प्रभावी सिद्ध हुई है। ग्रामीण नवयुवकों को उनकी अभिरुचि के अनुसार बढ़ईगिरी, लौहारी, ट्रैक्टर व डीजल पंप दुरुस्ती, बिजली का काम आदि अनेक ट्रेडों का प्रशिक्षण उनके ग्रामों अथवा पालीटेक्निक-हरदा, ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र, बुदनी तथा कृषि कर्मशाला, पंवारखेड़ा में दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान ग्राम में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थी को 50 रुपये मासिक तथा प्रशिक्षण संस्थाओं में 100 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है। प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् व्यवसाय की स्थापना के लिए ग्रामीण उद्यमी को बैंकों से आवश्यक ऋण-प्राप्ति की सुविधा प्रदान की गई है जिस पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा 33 प्रतिशत का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। प्रशिक्षणार्थियों के चयन में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता का लाभ प्राप्त होता है।

साख योजना

संभाग के आंतरिक क्षेत्रों तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का विस्तार कर साख योजना का लाभ ग्राम-ग्राम तक पहुंचाने का प्रयास योजना को गतिशील व प्रभावी बनाने की दिशा में ठोस कदम है। संभाग के 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपनी 91 शाखाओं का जाल फैलाकर ग्रामीणों के नजदीकी दरवाजे तक साख योजना का विस्तार किया है। इस योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमान्त कृषक, खेतिहर मजदूर तथा पिछड़े व दलित वर्ग के अन्य व्यक्ति कुआं-निर्माण, विद्युत् व डीजल पंप, बैल, कृषि उपकरण, पौध संरक्षण, डेयरी, कुक्कुट, बकरी व सुअर पालन तथा जर्सी पालन आदि के लिए ऋण-सुविधा प्राप्त कर अतिरिक्त आय के साधन जुटा सकते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक विपन्नता से मुक्ति का मार्ग यही नजर आ रहा है।

सीमित आय में बंधे दो जून की रोटी जुटाने वाले ग्रामीण की नजर जब इस कल्याणकारी योजना पर पड़ी तब वह आल्हादित हो उठा और उसने परियोजना अधिकारी के दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी खुशी और बढ़ी जब उसे मालूम हुआ कि बैंकों से मिलने वाले कर्ज पर अभिकरण अपनी ओर से अनुदान राशि की इमदाद दे रहा है। इससे उसका भार हल्का हुआ और वह जुट पड़ा अभिकरण के मशविरे पर नई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए। प्रारंभिक वर्ष 1978-79 में इस नई योजना के तहत कुल 31 लाख 55 हजार 284 रुपये की ऋण राशि वितरित की गई जिस पर अभिकरण ने 9 लाख 79 हजार 608 रुपये का अनुदान देकर हितग्राही का बोझ हल्का किया। चूंकि उस वर्ष योजनाबद्ध तरीका अमल में नहीं लाया गया था तथापि 1357 विपन्नता ग्रस्त ग्रामीणों ने नए दृष्टिकोण में अपने को समाहित करने की चेष्टा की। दस्तक देने वालों में 106 हरिजन, 92 आदिवासी तथा 1159 अन्य पिछड़े वर्ग के लघु एवं सीमान्त कृषक व खेतिहर मजदूर थे जिन्हें कृषि-प्रणाली की समुन्नति करने के लिए भरपूर ऋण-राशि प्रदान की गई थी। लाभान्वित हरिजनों को 2 लाख 24 हजार 405 रुपये आदिवासियों को 62 हजार 820 रुपये तथा अन्य व्यक्तियों को 27 लाख 26 हजार 699 रुपये की ऋण-राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उपलब्ध की गई।

वर्ष 1979-80 में योजना को अधिक प्रोत्साहन मिला और 4740 हितग्राहियों को एक करोड़ 39 लाख 94 हजार 631 रुपये का कर्ज वितरित किया गया जिस पर विकास अभिकरण ने 44 लाख 99 हजार 950 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया। इस वर्ष कृषि-कार्यों के अतिरिक्त ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए भी 482 व्यक्तियों को 4 लाख 80 हजार 722 रुपये के ऋण दिए गए जिसमें एक लाख 54 हजार 910 रुपये की अभिकरण की अनुदान-राशि सम्मिलित है। योजनाओं का लाभ लेने वाले ग्रामीणों में 960 हरिजन, 589 आदिवासी तथा 3191 अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति थे। ऋण-राशि के वितरण में वर्ष 1980-81 में और इजाफा हुआ और उस वर्ष 5141 हितग्राहियों को कृषि, सिंचाई, पशुपालन तथा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए एक करोड़ 60 लाख 16 हजार 554 रुपये की ऋण-राशि बैंकों ने उपलब्ध की। अभिकरण ने अपना योगदान देकर 49 लाख 62 हजार 555 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया। हितग्राहियों में इस वर्ष हरिजन और आदिवासियों की संख्या में पर्याप्त अभिवृद्धि हुई और 871 हरिजनों तथा 1023 आदिवासियों ने अनुदान सहित क्रमशः 17 लाख 14 हजार 919 रुपये तथा 29 लाख 99 हजार 628 रुपये के ऋण प्राप्त किए।

वर्ष 1981-82 में लघु एवं सीमान्त कृषकों, खेतिहर मजदूरों तथा अन्य ग्रामीण व्यवसाइयों को संभाग में कार्यरत 12 बैंकों ने कुल 1 करोड़ 14 लाख 86 हजार 53 रुपये के ऋण उपलब्ध किए जिनमें जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने अपने योगदान-स्वरूप 34 लाख 52 हजार 196 रुपये का अनुदान स्वीकृत कर प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। लाभान्वित परिवारों में 659 हरिजन, 582 आदिवासी तथा 2102 अन्य वर्गों के ग्रामीणजन हैं। अभिकरण के नए

[शेष पृष्ठ 23 पर]

"20 संकल्पों से सुवासित सिरोही जिला'

✱ जुगल किशोर शर्मा

प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम पर आधारित राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर द्वारा घोषित 20 संकल्प कार्यक्रम ग्रामीण-आर्थिक उत्थान एवं गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रदेश के 47 प्रतिशत परिवारों को ऊंचा उठाने में वरदान सिद्ध हुआ है।

सिरोही जिले में 20 संकल्प कार्यक्रम किस प्रकार वरदान सिद्ध हो रहा है यह बात यहां के ग्रामवासियों के सामाजिक जीवन एवं उसमें आए बदलावों से स्वतः ही प्रकट होता है।

सिरोही के जिलाधीश राजेश्वर प्रसाद तिवारी की तत्परता से 20 संकल्पों से सुवासित सिरोही जिले ने जिस सन्नद्धता एवं जागरूकता से गरीब को छप्पर, पिछड़े को पहले, छोटा परिवार, पीने का पानी, खेत में बिजली, विकलांग कल्याण, हस्तशिल्प एवं उद्योग तथा कृषि एवं सहकारिता संकल्प में जिस तरह के कीर्तिमान स्थापित किए हैं इससे जिले का विकास तो हुआ ही है साथ ही पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के लोगों को आवास हेतु भूखण्ड एवं मकान मिलने पर उनको सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने के अवसर मिलने लगे हैं। जिले में कई संकल्पों में लक्ष्य से भी अधिक उपलब्धि प्राप्त कर ली गई है।

गरीब को छप्पर

गरीब को छप्पर संकल्प के तहत सिरोही जिले में एक हजार ग्रामीण भूखण्ड दुर्बल वर्ग के लोगों को वितरित करने का लक्ष्य था जिसकी तुलना में गत माह तक एक हजार 86 भूखण्डों का वितरण किया जिससे लक्ष्य से भी अधिक उपलब्धि प्राप्त कर ली गई है। इनमें सिरोही तहसील में 340, रेवदर में 254, पिण्डवाड़ा में 253, आबूरोड़ में 160 तथा शिवगंज तहसील में 79 भूखण्ड आवंटित किए गए हैं।

इसी संकल्प के तहत ग्रामीण आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले में 195 मकान बनकर तैयार हो गए हैं।

पिछड़े को पहले

पिछड़े को पहले संकल्प के तहत 3 हजार निर्धन परिवारों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिले में लक्ष्य से भी अधिक 4 हजार 203 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है जो कि एक नया कीर्तिमान है। इनमें अनुसूचित जाति के 1847 तथा अनुसूचित जनजाति के 1175 परिवार भी सम्मिलित हैं। इन सभी परिवारों को दुधारु पशु, बैल जोड़ी, ऊंट गाड़ी, भेड़ यूनिट तथा दस्तकारी व्यवसाय हेतु विभिन्न बैंकों से 57 लाख 94 हजार रुपये का ऋण तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से 33 लाख 67 हजार रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध कराई गई है।

अनुसूचित कम्पोनेंट प्लान के तहत निर्धारित लक्ष्य 760 की तुलना में 3 हजार 519 अनुसूचित जाति के लोगों को लाभान्वित कर लक्ष्य से 4 गुना अधिक उपलब्धि प्राप्त की गई है।

इसी तरह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 600 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिए जाने का लक्ष्य था जिसके विपरीत एक हजार 96 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सुलभ कर दी गई है।

छोटा परिवार

"छोटा परिवार" संकल्प के तहत 3 हजार 119 स्वैच्छिक नसबन्दी के लक्ष्य रखे गए थे जिसकी तुलना में 2 हजार नसबन्दी आपरेशन संपन्न किए जा चुके हैं।

जंगल में मंगल

"जंगल में मंगल" संकल्प में सिरोही जिले को 4 लाख 47 हजार वृक्ष लगाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था जिसकी तुलना में गत माह तक 6 लाख 36 हजार पौधे लगाए जा चुके हैं।

खेत में बिजली

"खेत में बिजली" संकल्प के अन्तर्गत गांव में उजाला के लिए 19 गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य था जिनमें समय से पूर्व ही बिजली पहुंचा कर लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। इसके साथ ही 749 कुओं पर बिजली देने के लक्ष्य के विपरीत 801 कुओं पर बिजली सुलभ करदी गई है। इनमें अनुसूचित जाति के 135 एवं जनजाति के 10 व्यक्ति भी सम्मिलित हैं।

पीने का पानी

"पीने का पानी" संकल्प के अन्तर्गत सिरोही जिले में 45 गांवों में पेयजल सुलभ कराने का लक्ष्य था जिसके विपरीत गत मार्च माह तक 62 गांवों में पेयजल सुलभ करा कर लक्ष्य से अधिक उपलब्धि अर्जित की गई है। लाभान्वित गांवों में 56 में "हैण्डपम्प, 5 में पी० एण्ड०टी० स्कीम एवं एक गांव में टी० एस०एम० योजना चालू कर पेयजल की व्यवस्था की गई है।

विकलांग कल्याण

"विकलांग कल्याण" के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 15 के विरुद्ध 25 विकलांगों को रोजगार उपलब्ध करा कर लक्ष्य से अधिक प्राप्ति कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, कृत्रिम अंग सहायता के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 50 की तुलना में 19 विकलांगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध करा कर लाभान्वित किया गया है। शेष विकलांग व्यक्तियों को महावीर विकलांग सहायता समिति जोधपुर द्वारा कृत्रिम उपकरण उपलब्ध कराने का प्रयास द्रुत गति से किया जा रहा है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा 129 विकलांग विद्यार्थियों को विकलांग छात्रवृत्ति के रूप में 40 हजार 580 रुपये की राशि उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया है।

राष्ट्रीय एकता

"राष्ट्रीय एकता" के लिए कठपुतली नाटक प्रदर्शन के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों एवं राष्ट्रीय एकता में बाधाओं के उन्मूलन के लिए सिरोही जिले में 177 विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कृषि एवं सहकारिता

"कृषि एवं सहकारिता" संकल्प के तहत तिलहन के अन्तर्गत खरीफ फसल में 17 हजार हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 16 हजार 396 हेक्टेयर उपलब्धि हुई। इसी प्रकार दलहन में 22 हजार 400 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 24 हजार 914 हेक्टेयर उपलब्धि रही।

रबी फसल में तिलहन के अन्तर्गत 10 हजार हेक्टेयर लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई तथा दलहन में 10 हजार हेक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में 1 हजार 500 हेक्टेयर की उपलब्धि प्राप्त की गई।

इसी संकल्प के तहत 40 गोदाम बनाने का लक्ष्य है, जिसकी तुलना में 3 गोदाम ही बनकर तैयार हुए हैं तथा 16 गोदामों के प्रोजेक्ट की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। 6 गोदामों की तकनीक स्वीकृति की कार्यवाही चल रही है।

17 जिले में 40 उपभोक्ता भण्डारों के माध्यम से उपभोक्ताओं को नियन्त्रित दर पर 24 लाख 94 हजार रुपये की सामग्री का वितरण किया जा चुका है।

हस्तशिल्प एवं उद्योग

"हस्तशिल्प और उद्योग" संकल्प के तहत सिरोही जिले में 450 स्थायी एवं 250 अस्थायी औद्योगिक इकाईयों के पंजीयन का लक्ष्य था जिसके विपरीत जिले में 531 स्थायी एवं 363 अस्थायी इकाइयों का पंजीयन कर लक्ष्य से भी अधिक उपलब्धि अर्जित कर ली गई है।

बढ़िया शिक्षा

"बढ़िया शिक्षा" संकल्प के तहत सिरोही जिले में विद्यालयों का चयन कर प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। इसके अलावा, सिरोही जिले में एक माध्यमिक विद्यालय के छात्रावास की स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। राजस्थान में स्वीकृत 40 छात्रावासों में सिरोही जिला ही एक ऐसा प्रथम जिला है जहां छात्रावास बनकर तैयार भी हो चुका है।

जिले की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर, टाट-पट्टियां सुलभ कराने की प्रक्रिया जारी है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए फर्नीचर एवं शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

भवन सुधार के लिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए राशि पंचायत समितियों को स्थानान्तरित कर दी गई है। □

जुगल किशोर शर्मा
जन सम्पर्क अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

खुशहाली की ओर बढ़ते कदम . . . . . .

[पृष्ठ 21 का शेषांश]

स्वरूप के साथ ऋण-बैंक की मदों में अभिवृद्धि कर ग्रामीण विकास की समस्त संभावित धाराओं को स्पर्श करने का प्रयास किया जा रहा है। इस वर्ष कृषि विकास के लिए 26 लाख 90 हजार 418 रुपये, सिंचाई के विस्तार के लिए 58 लाख 96 हजार 896 रुपये, पशुपालन योजना के प्रोत्साहन के लिए 20 लाख 92 हजार 463 रुपये, ग्रामीण उद्योगों की समृद्धि के लिए एक लाख 47 हजार 850 रुपये तथा अन्य सेवा व्यवसायों की स्थापना के लिए 6 लाख 58 हजार 426 रुपये की ऋण-राशियां उपलब्ध की गईं। चूंकि सर्वेक्षित परिवारों को इमदाद देने का यह प्रथम वर्ष है, अतः अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई है तथापि आगामी वर्षों में योजनाओं की लोकप्रियता के साथ अधिकाधिक ग्रामीण-जन आकर्षित होंगे।

अभिकरण की कल्याणकारी नीति तथा गहरे पैठकर सबसे कमजोर वर्ग को उठाने की प्रवृत्ति ने कार्यक्रम में प्राण फूंक दिए हैं। परिवार की अनियन्त्रित बढ़ोतरी और आय के सीमित साधनों से निजात पाने के लिए कमजोर और पिछड़े वर्ग को अभिकरण का दामन थामकर आर्थिक समुन्नति के नए-नए स्रोत खोजने पड़ेंगे। विकास के नए आयामों के आविर्भाव से आवरणों की परतों का जमाव बढ़ रहा है, अभावों की लंगोटी इतिहास की पृष्ठभूमि में छिप गई है और चेहरों पर खुशहाली की नई आभा का आभास हो रहा है। □

शिव राम सिंह ठाकुर
सहायक संचालक,
सूचना-प्रकाशन-होशंगाबाद

रेशम कीट पालन : एक लाभदायक धन्धा

रामस्वरूप जोशी

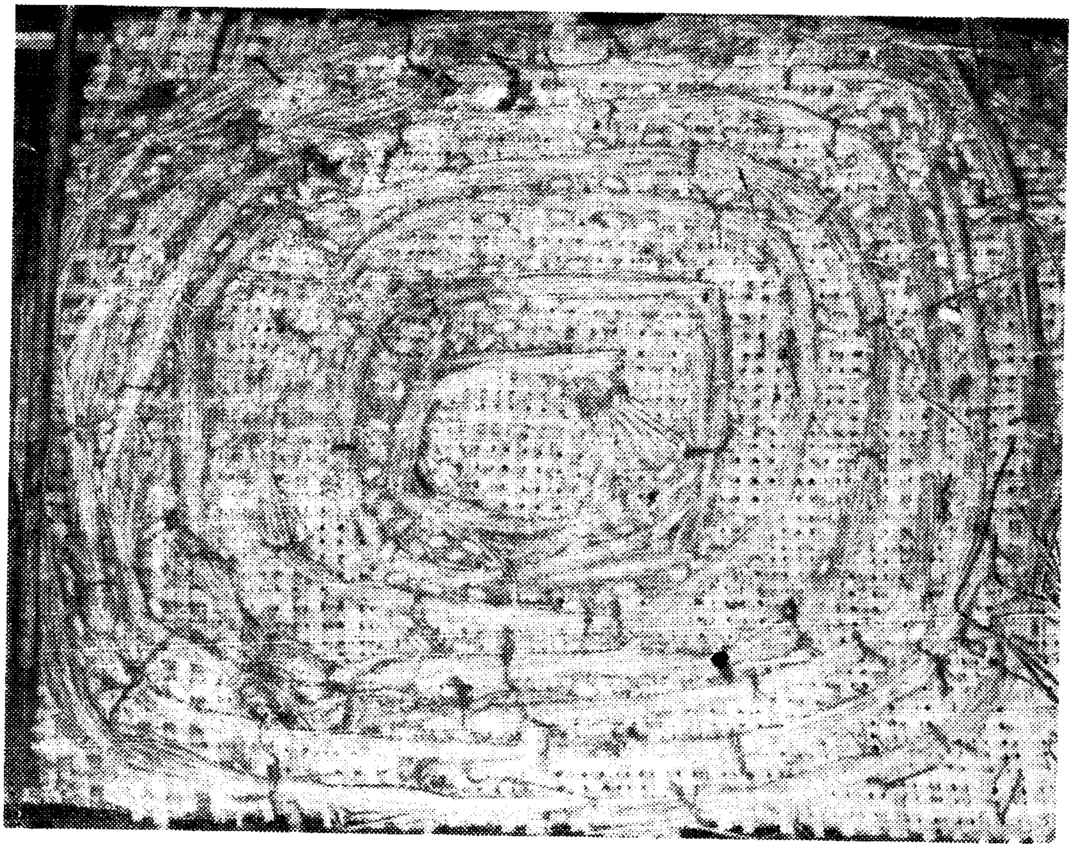

रेशम कीटों से बनते हुए काकून

भारत में हल्के व रेशमी कपड़ों का प्रचलन व महत्व प्राचीन काल से ही है। रेशमी वस्त्रों की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। ढाका की मलमल व कश्मीर की मलमल, बैंगलोर का रेशम तथा बनारस की जरी का विश्व में अपना प्रमुख स्थान था। विदेशियों को हमारे इन्हीं उद्योगों ने प्रभावित किया था।

सोने में सुहागा अथवा आम के आम गुठलियों के दाम कहावत पुरानी हो गई। कम काम अधिक लाभ अथवा काम एक गुण तीन की दृष्टि से रेशम कीट पालन अधिक उत्पादन, कम श्रम तथा अधिक आय का व्यवसाय तथा अच्छा गृह उद्योग तीनों ही है।

छोटे कृषक रेशम कीट पालन के लिए शहतूत के पौधे लगाकर प्रति हेक्टेयर 12 से 20 हजार रु० की आय प्राप्त कर सकते हैं तो भूमि-हीन किसान रेशम कीट पालन के लिए परिश्रम करके 10–12 हजार रुपये प्रति वर्ष आय प्राप्त कर सकते हैं। तथा बड़ा कृषक अथवा लघु उद्योग गृह उद्योग के रूप में रेशम कताई के कार्य से दो लाख रुपये प्रतिवर्ष आय प्राप्त कर सकता है।

कोटा जिले के प्रमुख गृह उद्योग कोटा डोरिया साड़ी में प्रतिवर्ष दस मी० टन रेशम की आवश्यकता है जो कर्नाटक से मंगाया जाता है। इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए जिला ग्रामीण अभिकरण द्वारा कोटा जिले में रेशम कीट पालन को परीक्षण के रूप में गत वर्ष प्रारम्भ किया गया, जिसके अच्छे परिणाम रहे।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक तथा अतिरिक्त जिलाधीश श्री बी० बी० महान्ति ने ट्राइसेम योजना के तहत सी० ए० डी० के नान्ता फार्म पर कीट विज्ञान इकाई के सहयोग से प्रयोग कर कोटा जिले में रेशम कीट पालन को व्यावसायिक उत्पा-

दन के लिए नया क्षेत्र बना दिया। राज्य सरकार ने तीन वर्षीय रेशम कीट पालन योजना कोटा जिले के लिए स्वीकृत की। तीन वर्ष पश्चात् कोटा जिला यहां दस मीट्रिक टन रेशम उत्पादन कर आत्म निर्भर हो जायेगा।

रेशम कीट पालन को तीन खण्डों में विभक्त किया जा सकता है। रेशम कीट पालने के लिए शहतूत के पत्तों की खेती, पत्तों पर रेशम कीट पालन व काकून तैयार करना तथा काकून से रेशम की कताई। रेशम कीट मुख्यत: शहतूत अरण्डी तथा अर्जुन (कोडा) के पत्ते पर पाले जाते हैं जिनमें शहतूत के पत्तों पर पाले गए कीट व उनसे बनी रेशम उच्च श्रेणी की होती है।

शहतूत के पत्ते का उत्पादन एक लाभदायक कृषि है। यदि छोटे कृषक एक हेक्टेयर में 2′×5″ के अनुसार शहतूत के पौधे की कटिंग लगावें तो प्रथम वर्ष में वह दो बार में लगभग दस हजार किलो पत्ती से पांच हजार रुपये प्राप्त कर सकता है जिससे वह दो हजार की शुद्ध आय प्राप्त कर सकता है जबकि दूसरे से 15 वर्ष तक की अवधि में पांच-पांच बार पत्ते एकत्र कर 25 से 40 हजार किलो पत्ती द्वारा प्रतिवर्ष बारह से बीस हजार रुपये की आय प्राप्त कर सकेगा। परीक्षण के तौर पर कैथून के सात कृषकों के यहां चार हेक्टेयर में तीन हजार पौधे लगाए गए हैं।

भूमिहीन कृषकों के लिए यह अधिक पारिश्रमिक देने वाला अच्छा व्यवसाय है। थोड़े से प्रशिक्षण के पश्चात् शहतूत के पत्ते पर रेशम कीट पालन का कार्य किया जा सकता है।

एक बार मादा द्वारा दिए गए अण्डों को पालने के लिए 8 किलो शहतूत के पत्तों की आवश्यकता होती है। एक बार 200 मादाओं के अण्डों को रेशम कीट के रूप में पाला जा सकता है जिसके लिएं उसमें 1600 किलो पत्तों की आवश्यकता होती है।

रेशम कीट पालन के लिए एक पर्णकुटी, रेक्स व चटाईयों की आवश्यकता होती है। जिस पर लगभग 8500/- रुपये प्रथम बार में व्यय आता है। रेशम कीट पालन के लिए 24° से 28° तक तापमान रखना होता है।

एक बार में दो सौ मादाओं के अण्डों को पालने पर 60 किलो काकून (रेशम के कोथे) तैयार होते हैं। एक व्यक्ति वर्ष में पांच बार काकून तैयार कर सकता है। इस प्रकार तीन सौ किलो काकून तैयार करने पर उसे 15 हजार रु० प्राप्त हो सकेंगे। प्रथम वर्ष उसे जहां 7,500/- रु० की शुद्ध आय प्राप्त होगी वहां अगले वर्षों से उसे दस बारह हजार रुपयों की न्यूनतम आय प्राप्त होगी।

काकून से रेशम कताई कार्यों को व्यवसाय तथा लघु उद्योग दोनों ही स्तर पर आरम्भ किया जा सकता है। लघु उद्योगों के लिए दस रेशम कीट पालक द्वारा उत्पादित काकून की आवश्यकता होगी।

दस इकाईयों के लिए कताई मशीनें आदि लगाने पर जहां 60 हजार रु० प्रारम्भिक व्यय तथा काकून क्रय करने तथा श्रमिकों के भुगतान आदि पर लगभग दस लाख 56 हजार रुपये प्रतिवर्ष व्यय करना होगा वहां प्रतिदिन आठ किलो काकून 250 दिन प्रतिवर्ष कातने पर उसे रेशम से दो लाख रुपये की शुद्ध आय होगी।

एक किलो काकून से लगभग 200 ग्राम सिल्क प्राप्त होती है। यदि इसे व्यवसाय के रूप में परिवार अपनाए तो एक परिवार 600 किलो काकून की कताई कर छ: हजार रुपये की शुद्ध आय प्रतिवर्ष प्राप्त कर सकता है।

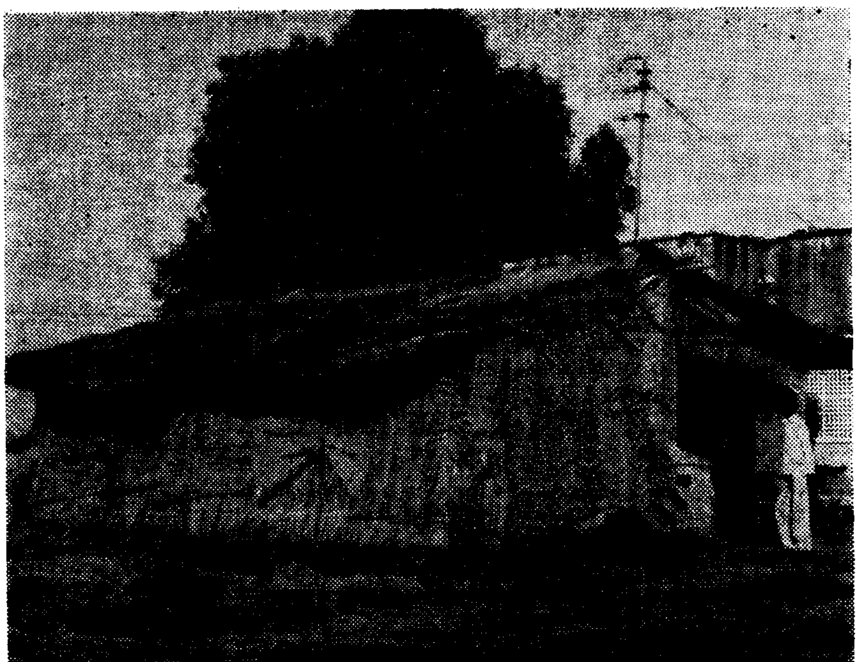

रेशम कीट पालन के लिए बनाई गई झोंपड़ी

शहतूत के पत्तों पर पलते रेशम कीट

रेशम कीटपालन में जिसे कृषि आधारित लघु उद्योग की संज्ञा दी जा सकती है, श्रमिकों को अधिक रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त हैं। कोटा जिले का डोरिया साड़ी उद्योग कई बार सिल्क की अनुपलब्धता के कारण लड़खड़ाया है। जिले में लगभग 6;000 परिवार कोटा डोरिया साड़ी पर निर्वाह कर रहे हैं। इन 6,000 करघों की दस मी० टन सिल्क की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए आगामी तीन वर्ष की अवधि में रेशम कीट पालन द्वारा लगभग 915 परिवारों को रोजगार सुलभ हो सकेगा।

परियोजना के माध्यम से तीन वर्ष में दो सौ हेक्टेयर में शहतूत पौधों का रोपण किया जाएगा। लगभग 800 व्यक्तियों को कीट-पालन का प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर कीट पालने तथा काकून तैयार करने का व्यवसाय अपनाया जाएगा तथा 15 परिवारों को काकून से रेशम कताई का प्रशिक्षण व व्यवसाय उपलब्ध हो सकेगा। □

जन सम्पर्क अधिकारी
कोटा (राजस्थान)

छोटा परिवार

सुखी परिवार

कृषि और यातायात में पशु ऊर्जा

निहाल सिंह

विश्व के पटल पर पशुधन का अत्यधिक महत्व है। पशु दूध, मांस, ऊन के साधन के अलावा कृषि और यातायात के प्रमुख साधन हैं। विकासशील देशों की 2 अरब जनसंख्या 40 करोड़ पशुओं पर कृषि और यातायात के लिए निर्भर है। इन देशों में पशु ऊर्जा का कृषि कार्यों में योगदान 30 से 90 प्रतिशत तक रहता है और औसतन 50 प्रतिशत कार्य पशुओं के द्वारा सम्पन्न करवाए जाते हैं। इन पशुओं का बाजार मूल्य 40 से 50 अरब डालर है और इनसे 2 करोड़ अश्व शक्ति (हार्स पावर) ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर इस ऊर्जा को प्रतिस्थापित किया जाए तो 200 अरब डालर की आवश्यकता होगी। अधिकांश विकासशील देशों में खनिज तेल-भण्डारों का अभाव है, इस कारण पशु ऊर्जा का प्राप्त हो सकती है जो कि 30,000 मेघावाट विद्युत शक्ति के बराबर है। पशु ऊर्जा देश में स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता से भी अधिक है। एक किलोवाट ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 10,000 रुपये का विनियोग कम से कम अनिवार्य है। अतः 30,000 मेघावाट विद्युत् उत्पादन के लिए 300 अरब रुपये विनियोजित करने की आवश्यकता होगी।

भारत ही विश्व का एक ऐसा देश है जो पशुधन का सर्वाधिक प्रयोग ऊर्जा के लिये करता है जबकि अन्य देशों में इनका प्रयोग दूध या मांस या खाल के लिए किया जाता है। बैल कृषि ऊर्जा और यातायात का प्रमुख साधन है अतः आज भी भारतीय अर्थ व्यवस्था की बैल सम्पत्ति है।

अगस्त, 1981 को नेरोबी में "नवीन

देश में पशु यातायात के भी प्रमुख साधन हैं। पशु, पशु गाड़ियां और रखरखाव औजारों का बाजार मूल्य 30 अरब रुपये है (रेलवे और सड़क परिवहन में क्रमशः 40 अरब तथा 25 अरब रुपये विनियोजित हैं)। पशु एक टन सामान को 10 से 40 किलोमीटर तक गाड़ियों द्वारा ले जाते हैं। इतनी दूरी के लिए ट्रक आदि वाहन अनार्थिक रहते हैं। इसके अलावा भारतीय गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। इस कारण सामान व यात्री परिवहन दोनों के लिए पशु-गाड़ियों पर निर्भर रहना पड़ता है। बैल-गाड़ी कार्यों के लिए दो सर्वेक्षण किए गए। एक नेशनल कौंसिल आफ अप्लाईड इकानामिक्स तथा दूसरा इण्डियन इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट, बंगलौर द्वारा किया गया।

और भी अधिक महत्व हो जाता है।

भारत एक विकासशील देश है, इसमें पशु ऊर्जा का प्रयोग कृषि कार्यों एवं यातायात के लिए किया जाता है। देश में वर्तमान समय में 1.7 करोड़ पशु गाड़ियां है जिनकी संख्या 1970 से 1977 तक अत्यधिक बढ़ी है और यही प्रवृत्ति आगे जारी रहने की सम्भावना है। देश में 12 करोड़ पशु कार्य वाले हैं—जिनमें से 8 करोड़ पशु कार्यरत हैं और शेष कार्य आयु से छोटे हैं। कार्यरत पशुओं में बैल 7 करोड़, भैंसें 80 लाख, घोड़े व खच्चर 10 लाख और ऊंट 10 लाख हैं।

इन पशुओं का बाजार मूल्य 100 अरब रुपये है। प्रत्येक पशु से आधा हार्स पावर (अश्व शक्ति) ऊर्जा आंकी जाती है और इस आधार पर पशुओं से करीब 4 करोड़ हार्स पावर ऊर्जा तथा नवीनीकरण ऊर्जा के साधन" विषय पर संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन की ओर से सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत सरकार भी प्रबन्ध संस्थान, बैंगलौर के प्रस्ताव पर विचार करके देश में पशु ऊर्जा मण्डल स्थापित कर रही है।

भारत में कृषि कार्यों के लिए दो तिहाई ऊर्जा पशुओं से प्राप्त की जाती है, 23 प्रतिशत ऊर्जा मानव श्रम से और शेष ऊर्जा पेट्रोल-पदार्थों व जल विद्युत से प्राप्त की जाती है। देश में कृषि कार्यों के लिए ऊर्जा की मांग अधिक और पूर्ति कम है। इस कमी को पशु ऊर्जा द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। पेट्रोल पदार्थों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है अतः इनसे अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करना काफी कठिन है।

1971 की पशु गणना के अनुसार 1.21 करोड़ पशु-गाड़ियां थीं जो 1977 में बढ़कर 1.51 करोड़ हो गईं। इसमें 64 लाख उत्तरी भाग (बिहार, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल आदि) में और 87 लाख पशु गाड़ियां दक्षिणी भाग (आन्ध्र-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु आदि) में थीं। दोनों सर्वेक्षण साथ-साथ किए गए थे। दोनों भागों के 1.45 करोड़ ग्रामीण लोगों के पास (कुल के 19 प्रतिशत) स्वयं की पशु-गाड़ियां थीं।

यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि देश में एकपशु गाड़ियों में 85 प्रतिशत गाड़ियां सुधरी हुई अवस्था में हैं। इनमें अधिकांश घोड़ा एवं ऊंट गाड़ियां हैं। पशु गाड़ियां वर्ष में उत्तरी भाग में

सत 106 दिन और दक्षिणी भाग में 67 दिन प्रयुक्त होती हैं। ग्रामीण यातायात का 70 प्रतिशत भाग पशु-गाड़ियों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। उत्तरी भाग में 64 प्रतिशत ग्रामीण माल का परिवहन पशु-गाड़ियों द्वारा किया जाता है। दक्षिणी भाग में 75 प्रतिशत माल का परिवहन पशु गाड़ियों द्वारा पूरा किया जाता है। उत्तरी भाग में पशु-गाड़ियों का कार्य 55.1 करोड़ मानव दिन और दक्षिणी भाग में 110 करोड़ मानव दिन का कार्य किया जाता है। सर्वेक्षणों में आशा की गई है कि आने वाले वर्षों में भी इस स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। दोनों गों में एक पशु गाड़ी एक चक्कर में औसतः 500 से 600 किलोग्राम भार ले जाती है।

भारत में पश गाड़ियों में सुधार किया जाना चाहिए जिससे इनकी कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सकती है। चीन में सड़कों की स्थिति भारत से अच्छी नहीं है लेकिन वहां पशु गाड़ियां अच्छी किस्म की हैं जिस कारण उनकी पशु गाड़ियों की कार्य कुशलता अधिक है। भारतीय सड़क कांग्रेस इंजीनियर्स के अनुसार प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपये का पशु गाड़ियों में नुकसान एवं घिसावट होती है। भारत में करीब 28 प्रतिशत पशु गाड़ियों में रबड़ टायर तथा बाल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। देश में विगत वर्षों से चार पहिये वाली गाड़ियां दिल्ली, मद्रास, कोयम्बूर, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों में प्रारम्भ की गई हैं। वर्तमान में रबड़ टायर तथा बाल बियरिंगों का प्रयोग बढ़ने के अलावा जुआ भी लकड़ी के बजाय आरामदायक वस्तुओं से बनाया जाता है।

परम्परागत गाड़ियों में लकड़ी और लोहे का प्रयोग किया जाता है और इनमें गतिअवरोधक (ब्रेक) नहीं होते हैं। वर्तमान समय में एक पशु गाड़ी की लागत 1000 से 3000 रुपये तक होती है। जिन क्षेत्रों में लकड़ी पर्याप्त मिल जाती है, वहां पशु गाड़ी कम लागत पर तैयार हो जाती है जैसे उत्तरप्रदेश। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में लकड़ी की सीमितता होती है तो पशु-गाड़ी की लागत बढ़ जाती है जैसे राजस्थान तथा तमिलनाडु आदि में। विगत 50 वर्षों से सरकार ने पशु-गाड़ियों के लिए अहस्तक्षेप नीति अपना रखी है।

भारत में 6 करोड़ कृषकों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, इनके लिए न तो ट्रैक्टर खरीदना सम्भव है और न ही ट्रैक्टर का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। अतः इनके पशु ही, ऊर्जा का सर्वाधिक उपयुक्त साधन हैं। भारत में कृषि ऊर्जा की मांग अधिक और पूर्ति कम है। अतिरिक्त ऊर्जा पूर्ति का साधन पशु ही हैं। खनिज तेलों की कीमतें अत्यधिक बढ़ रही हैं और उनका आयात भी करना पड़ता है। अतः इनसे और ऊर्जा प्राप्त करना कठिन अवश्य है। सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा तो प्रयोगशालाओं तक सीमित है। पशुधन में आसानी से वृद्धि की जा सकती है और गोबर ऊर्जा भी, ऊर्जा का एक अच्छा साधन हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का अभाव है तथा रास्तों में अनेक गड्ढे होते हैं, इस कारण ट्रक आदि वाहन ग्रामीण यातायात के काम नहीं आ सकते। इसके लिए पशु और पशु-गाड़ियां उपयुक्त रहती हैं। भारतीय अर्थ-व्यवस्था की अतिरिक्त ग्रामीण ऊर्जा (कृषि व परिवहन) की आवश्यकता को पशु ऊर्जा ही पूरा कर सकती है, जोकि देश की परिस्थितियों के अनुकूल भी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पशु खेत जोतने के लिए और गाड़ी खींचने के लिए वर्ष में 150 दिन काम में लिए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में वर्ष में एक से अधिक फसलें होती हैं वहां पशु कार्य दिन अधिक होते हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि में। देश के उन भागों में जहां एक ही फसल होती है वहां पशु कार्य दिन कम होते हैं जैसे राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात आदि में। देश की पशु ऊर्जा में से 3 करोड़ हार्स पावर प्रतिवर्ष अप्रयुक्त रहती है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अनुसार 35 से 50 प्रतिशत पशु ऊर्जा अप्रयुक्त रहती है, अतः अप्रयुक्त ऊर्जा का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में किया जाना चाहिए।

देश में पशुगाड़ियों का आधुनिकीकरण कर दिया जाए तो वे ट्रकों से प्रतिस्पर्द्धा कर सकती हैं और इससे देश में और पशुगाड़ियों की आवश्यकता होगी। इस कार्य के लिए शोध एवं अनुसंधान कार्य किए जाने चाहिएं जिसमें मुख्यतः इन विषयों पर विचार किया जाए—(क) पशु जोतने की विधि (ख) सुधरे हुए पशु गाड़ी औजार (ग) सुधरे स्वरूप की पशु गाड़ी (घ) पशु चिकित्सा (ङ) पशुपालन (च) नस्ल सुधार आदि। इसके अलावा गोबर गैस-प्लांट सेवा भी देश में ऊर्जा संकट को दूर करने में सहायक हो सकती है।

पशु सामान्यतः 10 से 12 वर्ष तक मालिक की सेवा करता है, इसके उपरान्त वह जब कार्य योग्य नहीं रहता है तब उसको पर्याप्त चारा नहीं मिल पाता जिससे बड़ी दयनीय स्थिति से गुजर कर वह मर जाता है। पशु मृत्यु के पश्चात् भी देश की सेवा करता है। उसकी खाल से चमड़ा उद्योग पनपता है। देश में प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये मांस, खाल, हड्डी आदि से प्राप्त होते हैं।

पशु ऊर्जा विकास बोर्ड

यह प्रस्ताव है कि देश में शीघ्र ही एक पशु ऊर्जा विकास बोर्ड स्थापित किया जाए जोकि पशु ऊर्जा साधनों के विकास में समन्वय एवं प्रबन्ध का कार्य करे। यह बोर्ड केन्द्रीय परामर्श संगठन के रूप में कार्य करेगा जोकि केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की पशु अभिकरणों में समन्वय एवं नियंत्रण करेगा। यह बोर्ड उन संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जो पशु विकास में अनुसंधान कर रही हैं। यह पशु-गाड़ी निर्माताओं, औजार निर्माताओं, पशु आहार व चारा उत्पादकों को मार्गदर्शन देगा। वर्तमान पशु कानूनों मुख्यतः पशुवध और पशु-चिकित्सा में संशोधन या आधुनिकीकरण करवाने का प्रयास करेगा। बोर्ड हरी घास व भूसा और पशु प्रजनन पर शोध करेगा। इसके अलावा बोर्ड ऊर्जा, दूध, मांस आदि का अधिकतम उत्पादन करने का प्रयास करेगा।

पशुधन का आधुनिकीकरण किए जाने से कारीगरों, किसानों और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लाभ होगा, और साथ ही साथ सम्पूर्ण समाज को लाभ होगा। इस कार्य से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और आय में वृद्धि होगी। खनिज तेल ऊर्जा का प्रयोग कम होगा जोकि अमूर्तलाभ होगा। देश में संगठित विनियोजित पूंजी का लगभग आधा भाग और विद्युत उत्पादन में विनियोजित राशि के बराबर पशु ऊर्जा में पूंजी विनियोग है। भारतीय किसान और पशुओं को लम्बे अरसे से उपेक्षित किया जाता रहा है। अतः करोड़ों किसानों के लाभ के लिए पशुओं पर ध्यान देना चाहिए जिससे भारतीय अर्थ व्यवस्था में सुधार हो सके। □

व्याख्याता
महर्षि दयानन्द स्नातकोत्तर
महाविद्यालय - श्री गंगानगर

रोजगार कार्यक्रम को कारगर ढंग से अमल में लाने के प्रयास

गत 28 तथा 29 मई 1982 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से सम्बद्ध सचिवों का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री एस० सी० वर्मा ने किया। सम्मेलन में राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के प्रशासन को मजबूत बनाने और कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सबल बनाने के लिए जो सिफारिशें और सुझाव दिए गए वे इस प्रकार हैं।

सचिव सम्मेलन की सिफारिश

केन्द्र सरकार ने निश्चय किया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए आवंटित धनराशि जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण के नियन्त्रण में रहेगी। चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के लिए इस कार्यक्रम के मद में 90 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

सम्मेलन में सुझाव दिया गया कि जिला ग्रामीण प्राधिकरण तथा प्रखण्ड प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को कदम उठाने चाहिएं ताकि कार्यक्रमों की निगरानी ठीक ढंग से की जा सके।

सम्मेलन में यह सिफारिश भी की गई कि प्राधिकरण इस कार्यक्रम को राज्य की वार्षिक योजना के आधार पर कार्यान्वित करे और विभिन्न स्तरों पर ग्रामीण विकास कार्यों में लगे लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिएं। सम्मेलन ने इस कार्यक्रम में कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने पर बल दिया।

सम्मेलन में सुझाव दिया गया है कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित सम्पत्तियां ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक सामाजिक और आर्थिक संरचना के रूप में काम में लायें। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमिकों को मजदूरी के रूप में अनाज देने के लिए भारतीय खाद्य निगम आवश्यक मात्रा में अनाज का आवंटन करेगा जो राज्य सरकारों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये आवंटित किए जाने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त होगा।

सम्मेलन में इस बात की आवश्यकता पर भी बल दिया गया कि राज्यों को आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्न के इस्तेमाल की निगरानी की उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि मजदूरों के रूप में दिए जाने वाले अनाज का पूरा ब्यौरा रखा जा सके।

सम्मेलन में केन्द्रीय खाद्य विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री बी० एस० राघवन ने आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हेतु राज्य सरकारों के लिए अनाज के आवंटन में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी।

सम्मेलन में तय किया गया कि आदिवासियों एवं अनुसूचित जातियों के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पत्तियां निर्मित करने के लिए राज्य सरकारें विशेष ध्यान दें और इसके लिए निर्धारित 10 प्रतिशत राशि खर्च करते समय इनके हितों को पूरी तरह ध्यान में रखा जाए।

इसी प्रकार सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत राशि का इस्तेमाल ठीक-ठीक किया जाना चाहिए जिससे ईंधन के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो सकें। इसके लिए ग्रामीण विकास और वन विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों में तालमेल बैठाने की जरूरत है।

सम्मेलन की अध्यक्षता श्री एस० सी० वर्मा ने की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य चुनते समय स्थानीय लोगों को भी सहभागी बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने रोजगार कार्यक्रमों को निर्धारित समय पर पूरा करने के हर संभव प्रयास पर जोर दिया। □

आखिर नाम लिखना सीख लिया

प्रभात कुमार सिंघल

"क्या बताऊं हुजूर ! बचपन में तो पढ़े-लिखे नहीं, सरकार अब बुढ़ापे में पढ़ना-लिखना सिखावे है। आज तक तो अंगूठा लगा- [illegible] था, अब तो नाम लिखना भी सीख लिया है।" ये विचार जिले की पंचायत समिति, कोटा, इटावा के ग्राम कोलाना के रहने वाले श्री रामकल्याण ने व्यक्त किए। उसने आगे बताया—"हुजूर! मैं आटा पीसने की चक्की पर काम करता हूं। अब नाप-तौल भी समझने लगा हूं। इससे मेरे मालिक को यह लाभ हो गया कि अब वह जरूरत पड़ने पर मेरे भरोसे चक्की छोड़ कर चले जाते हैं। नाप-तौल में कभी कोई शिकायत नहीं मिलती।"

राम कल्याण कोलाना के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र पर आज भी पढ़ने जाता है।

कोलाना ग्राम में प्रौढ़ शिक्षा के प्रति लोगों के रूझान का पता इससे भी चलता है कि इस केन्द्र के संचालक बाबू लाल गौतम का कहना है कि शाम होते-होते रात भी नहीं बजते कि लोग पढ़ने के लिए एकत्रित होने लगते हैं। 30 प्रौढ़ों को इस केन्द्र पर शिक्षित किया जा रहा है।

एक और दृष्टांत इसी पंचायत समिति के ग्राम विनायका का है। वहां महिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र की संचालिका श्रीमती ब्रजेश को देख कर लगा कि गांव की आबो हवा उन्हें छू तक नहीं गई। जैसे ही हम उनके घर प्रवेश करते हैं आशा के विपरीत वह कह उठती है, आइये ! आइये बैठिए, बड़ा विस्मयकारी लगा कि जहां ग्राम की औरतें मारे शर्म के बात करना पसन्द नहीं करतीं वरन् लम्बे-लम्बे घूंघट निकाल लेती हैं, वहीं श्रीमती ब्रजेश जी इतनी स्पष्ट भाषा में संबोधित कर रही थीं। इन्हीं के नेतृत्व में ट्राइसेम के तहत सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र भी चलता है।

प्रौढ़ शिक्षा के विषय में उन्होंने बताया कि, यहां पर महिलाओं में अभी पढ़ाई के प्रति रुचि कम है। अपना अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा कि वह शीघ्र ही अपने केन्द्र पर 30 महिलाओं को प्रशिक्षण देने लगेंगी, वे इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि अधिक से अधिक महिलाएं साक्षर हों तथा साथ ही अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति भी जागरूक बनें।

इनके घर पर उपस्थित प्रौढ़ महिला श्रीमती कान्ती बाई का कहना है, "अब पढ़-लिख कर बुढ़ापे में क्या करेंगे ?"

शिक्षा के महत्व से अपरिचित कान्ती को जब समझाया गया कि तुम्हारे अभी छोटे-छोटे बच्चे हैं, तुम कुछ पढ़ना लिखना सीख जाओगी तो, अपने बच्चों को भी समझा सकोगी। काफी समझाने-बुझाने पर वह इस बात के लिए तैयार हो गई और अब वह प्रति दिन पढ़ने आया करेगी।

जिले की पंचायत समिति कोटा इटावा में प्रौढ़ों को साक्षर करने के अभियान में प्रौढ़ शिक्षा पर्यवेक्षक काफी उत्साही हैं। उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में पंचायत समिति में 90 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है। इनमें से 25 केन्द्र केवल महिलाओं के लिए हैं तथा शेष पुरुषों के लिए। इन केन्द्रों के माध्यम से कुल 2650 प्रौढ़ महिला व पुरुष लाभान्वित होंगे। □

गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने की दृष्टि से सरकार ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों को सभी प्रकार के मौसम के लिए उपयुक्त सड़कों से जोड़ने का एक कार्यक्रम शुरू किया है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 और इससे अधिक आबादी वाले सभी गांवों तथा 1000 से 1500 की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को वर्ष 1990 तक हर मौसम के लिए उपयुक्त सड़कों से जोड़ दिया जाएगा।

छठी योजनावधि के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1165 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसमें से वर्ष 1980-81 और 1981-82 में क्रमशः 206 करोड़ रुपये और 217 करोड़ रुपये सड़कों के निर्माण पर खर्च किए गए।

योजना आयोग की राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा गठित अध्ययन दल ने जून, 1979 की अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि वर्ष 2000 तक कोई गांव एक सड़क से 1.6 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं रहना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 11,000 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस समय ग्रामीण सड़कों की लम्बाई लगभग 5 लाख किलोमीटर है। कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में 8 लाख किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया जाता है।

ग्रामीण सड़कों की निर्माण लागत को कम करने के लिए नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान किया जा रहा है। संस्थान ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण में उपलब्ध स्थानीय सामग्री का अधिकतम उपयोग करने का सुझाव दिया है। □

केन्द्र के समाचार

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 90 करोड़ रुपये

केन्द्र ने चालू वित्त वर्ष की पहली दो तिमाहियों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को 90.3 करोड़ रु० आवंटित किए हैं। वर्ष 1982-83 के लिए इस योजना में केन्द्र द्वारा कुल 190 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है। इतनी ही राशि राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध की जाएगी।

निर्धारित की गई राशि का 10 प्रतिशत अर्थात् 9.03 करोड़ रु० अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रखा गया है जबकि 10 प्रतिशत राशि विशेष वानिकी कार्यक्रम के लिए रखी गयी है। दूसरे कामों पर 72.27 करोड़ रु० खर्च होंगे।

24.75 करोड़ रु० का खाद्यान्न भी राज्य सरकारों को आवंटित किया गया है। इसमें एक लाख मी० टन चावल और 50 हजार मी० टन गेहूं शामिल है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा चालू वर्ष के दौरान 30 करोड़ से लेकर 30 करोड़ 50 लाख श्रम दिवस उपलब्ध कराए जाएंगे।

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जिसे पहले काम के बदले अनाज कार्यक्रम कहा जाता था वर्ष 1977-78 में आरम्भ किया गया था।

इस कार्यक्रम के शुरू होने से लेकर अब तक 170 करोड़ श्रम दिवस के रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं।

मरू विकास कार्यक्रम में तेजी

सरकार ने मरुस्थल के फैलाव को रोकने के लिए मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्ष रोपण, घास लगाने और रेत के टीलों का स्थायीकरण करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

यह कार्यक्रम देश के दोनों गर्म और ठंडे शुष्क क्षेत्रों में लागू होगा गर्म क्षेत्र में राजस्थान के 11 जिले, हरियाणा के चार जिले और गुजरात के तीन जिले शामिल हैं। ठंडे क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के दो जिले और हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले के अनमंडल शामिल हैं। 21 जिलों में 132 खण्डों में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा।

छठी योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी है जिनमें से 50 करोड़ रुपये केन्द्रीय योजना और 50 करोड़ रु० राज्यों की योजनाओं से उपलब्ध कराया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में इसके लिए 16 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

मरू विकास कार्यक्रम प्रारम्भ में 1977-78 में केन्द्र द्वारा चलाया गया था। 1979-80 से इस कार्य के लिए केन्द्र और राज्यों द्वारा बराबर-बराबर धन राशि की व्यवस्था की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल

निर्माण और आवास मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्त्ति संसाधनों को सुदृढ़ करने हेतु 59.42 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में दी जाने वाली अनुदान सहायता का पहला अंश है। यह राशि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए कार्यों पर खर्च की जाएगी।

उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 10.5 करोड़ रुपये की राशि और राजस्थान के लिए 9.7 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

राज्यवार आवंटन इस प्रकार है—आंध्र प्रदेश 1.80 करोड़ रुपये, असम 2.3 करोड़ रुपये, बिहार 2.7 करोड़ रुपये, गुजरात 65 लाख रुपये, हरियाणा 45 लाख रुपये, हिमाचल प्रदेश 45 लाख रुपये, जम्मू और कश्मीर, 4.30 करोड़ रुपये, मणिपुर 45 लाख रुपये, महाराष्ट्र 2.50 करोड़ रुपये, मेघालय 1.40 करोड़ रुपये, नागालैंड 65 लाख रुपये, उड़ीसा 2.70 करोड़ रुपये, पंजाब 40 लाख रुपये, राजस्थान 9.70 करोड़ रुपये, सिक्किम 50 लाख रुपये, तमिलनाडु 2.65 करोड़ रुपये, त्रिपुरा 20 लाख रुपये, उत्तर प्रदेश 10.5 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल 4.25 करोड़ रुपये।

केन्द्र शासित प्रदेशों में अरुणाचल को 30 लाख रुपये, गोवा, दमन और दीव 12 लाख रुपये, मिज़ोरम 3 लाख रुपये और पांडिचेरी को 7 लाख रुपये दिए गए हैं।

संकर चावल का विकास

संकर चावल उत्पादन कार्यक्रम चीन द्वारा चलाया जा रहा है। मेल स्टराइल लाइन्स के रूप में मूल बीज सामग्री अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आई० आर० आर० आई), मनीला के माध्यम से चीन से प्राप्त की गई है।

पिछले एक दशक से भी अधिक समय से चावल में संकर बीज के प्रयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु अनुसंधान किया जा रहा है। फिर भी, चूंकि हाल ही में इस पर अधिक ध्यान दिया गया है और ऐसा मुख्य रूप से चीन में इसके सफलतापूर्वक उपयोग के कारण किया गया है। भारत में अनुसंधान कार्यक्रम क्रमबद्ध रूप से आरम्भ किया गया है। हमारे देश में उसी तरह के दृष्टिकोण अपनाने की सम्भावना के अध्ययन के लिए तीन वैज्ञानिकों को चीन में नियुक्त किया गया था।

साइटोजेनिक मेल स्टारिलीटी सोर्सेज, जो व्यापारिक संकर बीज उत्पादन के आधार हैं, अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला से प्राप्त किए गए हैं और अपने यहां की अधिक-उपज देने वाली किस्मों की आनुवंशिक पृष्ठभूमि में इन्हें स्थानान्तरित करने

के कार्य में प्रगति जारी है। अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के चावल वैज्ञानिक मनीला के निकट सहयोग में कार्य कर रहे हैं ताकि संकर चावल के क्षेत्र में हुई किसी भी प्रगति का बिना किसी विलम्ब के लाभ प्राप्त कर सकें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के उपकर निधि से एक विशिष्ट योजना भी तैयार की जा रही है जो देश के 5–7 केन्द्रों में संकर चावल कार्यक्रम में सम्भवतः सहायता प्रदान करेगी।

बारानी खेती में सुधार

बारानी कृषि का सुधार करना नए 20 सूत्री कार्यक्रम का पहला मुद्दा है। कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए बारानी खेती करने के लिए कार्यकारी योजना शुरू की जा रही है।

इस समय 13 राज्यों में चल रही पुनर्गठित कृषि विस्तार प्रणाली के अन्तर्गत, उपयुक्त निर्दिष्ट स्थान से सबंधित बारानी खेती की प्रौद्योगिकी का कार्यकर्त्ताओं द्वारा नियतकालिक प्रशिक्षण (मासिक और पाक्षिक) और निर्धारित निरीक्षणों के जरिए किसानों में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है;

बारानी खेती के विकास हेतु प्रस्तावित अन्य कार्यक्रमों में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल हैं :—

1. सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत बारानी खेती का विकास करना ;
2. बारानी खेती विषयक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा विशिष्ट क्षेत्र के अनुसार सिफारिशें करना ;
3. प्रत्येक चुनींदा खण्ड में 1000 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि के लिए सूक्ष्म पनधाराओं का विकास करना;
4. आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से वर्षा सिंचित कृषि परियोजनाएं;
5. वर्षा से सिंचित क्षेत्रों के लिए जल संरक्षण/जलोपयोगी की प्रौद्योगिकी संबंधी योजना का प्रसार करना; और
6. बीज एवं उर्वरक ड्रिलों की सप्लाई करना

छोटे किसानों को सहायता

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने 50,000 छोटे, सीमान्त और भूमिहीन किसानों में से प्रत्येक को प्रतिवर्ष 500 रुपये के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है। प्रौद्योगिकी (आमतौर से प्रयोगशाला में किए गए अनुसंधानों का खेतों में प्रयोग कार्यक्रम के रूप में जानी जाती है) के स्थानान्तरण को एक प्रायोगिक कार्यक्रम के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के स्वर्ण जयंती वर्ष 1979 में आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों पर विशेष जोर देते हुए छोटे और सीमांत तथा भूमिहीन श्रमिकों के देश में फैले हुए 50,000 दत्तक परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषक परिवारों को वस्तु के रूप में महत्वपूर्ण निवेश और प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें प्रतिवर्ष प्रति एक सौ परिवारों पर 59,000 रुपये व्यय किया जाता है। इस कार्यक्रम से बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होने की वजह से इसे और दो वर्षों [मई, 1982] तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने इस प्रायोगिक कार्यक्रम को और आगे तीन वर्षों की अवधि (मई, 1985 तक) के लिए बढ़ाने का फैसला किया है और परिवारों की संख्या भी बढ़ा दी गई है जो मौजूदा समय में 50,000 से बढ़कर 75,000 परिवार हो गई है।

परिषद् कृषकों को बीजों की सप्लाई नहीं करती है। परिषद् का मुख्य उत्तरदायित्व प्रजनक बीज का उत्पादन और किस्मों को रिलीज करना तथा उसकी सूचना देना है।

विशाल बायोगैस विकास कार्यक्रम

कृषि मंत्रालय ने वर्ष 1981-82 में 24 हजार बायोगैस इकाइयों की तुलना में चालू वित्त वर्ष में 75 हजार बायोगैस इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। यह राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना का एक अंग है। इसमें छठी योजना के दौरान देश में चार लाख बायोगैस इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है। बायोगैस इकाइयों के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में राजगीरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बायोगैस इकाइयां लगाने वालों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से आसान शर्तों पर ऋण देने के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी दी जा रही है।

वर्ष के दौरान प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए 40 पाठ्यक्रम आयोजित करने का निर्णय किया गया है। प्रशिक्षक जिला और खण्ड स्तर पर ग्रामीण राजगीरों को बायोगैस इकाइयों का निर्माण और रख-रखाव के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए 150 पाठ्यक्रम आयोजित करेंगे। इस प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। मंत्रालय भी राज्य मुख्यालयों और 100 चुने हुए जिलों में बायोगैस कक्षों की स्थापना के लिए सहायता दे रहा है।

गांवों में भण्डारण की व्यवस्था

ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन और पौष्टिक आहार के कई पहलू हैं। इनमें से एक है अनाजों के लिए भंडारण की समुचित व्यवस्था। देश में उत्पादित अधिकांश अन्न की पैदावार और उसका भंडारण गांवों में होता है। यदि अनाज की कटाई और जमा करने की वर्तमान पद्धति में सुधार लाया जाए तो अनाज को होने वाली हानि से बचा जा सकता है। इसके लिए अधिक महंगी और जटिल किस्म की प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं है। केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर ने कुछ ऐसे सरल तरीके खोज निकाले हैं जिनके द्वारा गांवों की स्थिति को देखते हुए वहां अनाज के भंडारण और संरक्षण की वर्तमान पद्धतियों में सुधार लाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि छोटे कृषकों को इन नई पद्धतियों की जानकारी दी जाती है और उन्हें इनका प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अनाज का अधिकांश भाग चूहे और कीड़े-मकोड़ों द्वारा बर्बाद हो जाता है। इस हानि को, गांवों की भंडारण संबंधी व्यवस्था में कम खर्चे में सुधार करके कमी लायी जा सकती है। यह बड़ी ही पीड़ादायक बात है कि खराब भंडारण व्यवस्था के कारण अनाज में विषैली फफूंद लग जाती है जिससे गांवों में बीमारी फैल सकती है। बिना खर्चे के सिर्फ सही तरीके से अनाज को सुखाने से अनाज को सड़ने से बचाया जा सकता है।□

गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए बायो गैस

देवेन्द्र उपाध्याय

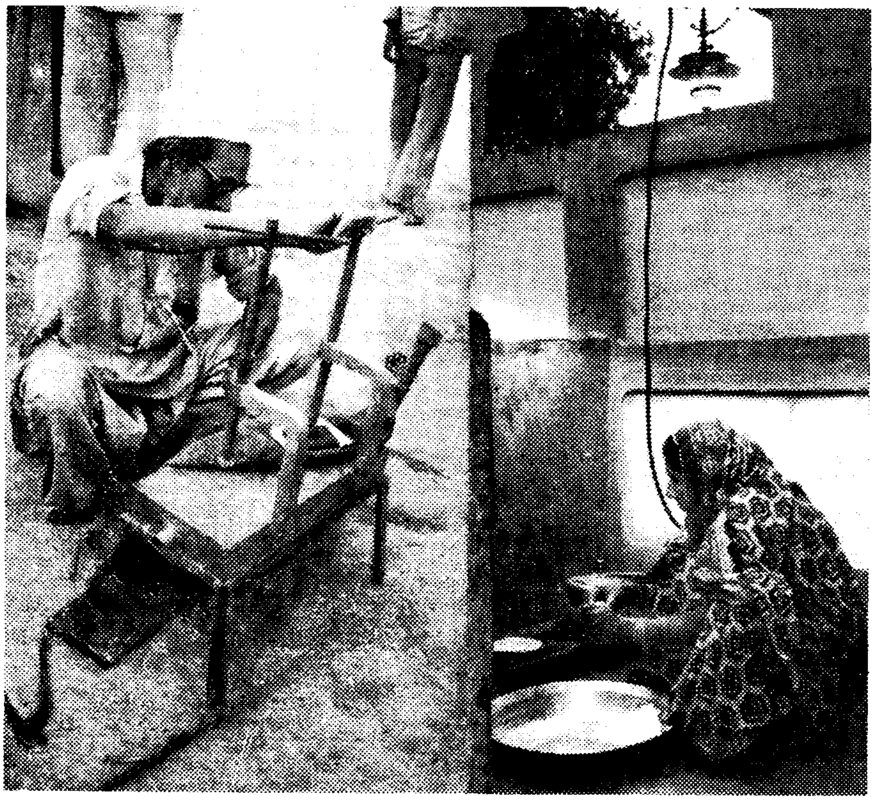

बायोगैस से पंचर जोड़ने और खाना बनाने का काम लिया जा रहा है

देश में अनेक ऐसे गांव हैं जहां बिजली की रोशनी तो नहीं पहुंची है लेकिन बायो-गैस की वजह से घरों में बल्ब जल उठे हैं। घरों में खाना बनने लगा है, चारे काटने की मशीनें चल रहीं हैं और बेरोजगारों ने अपने रोजगार के साधन खोज निकाले हैं। बायो-गैस आज गांवों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। इसने गांवों के जन-जीवन को बदल दिया है।

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले ने बायोगैस की स्थापना में देश में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। यहां अब तक 485 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं और 530 निर्माणाधीन हैं। विकास खंड गुलावटी, सिकंदराबाद और बी०बी० नगर इसमें आगे हैं।

भारत में सबसे पहले 1982 में गुज-रात में बायोगैस संयंत्र लगाया गया। इसके बाद इसे चीन ने अपनाया और वहां आज यह काफी लोकप्रिय है। उ० प्र० में सबसे पहला बायो गैस संयंत्र 1950 में इटावा में लगा था। 1974-75 में खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन ने इस दिशा में काफी काम किया। उ०प्र० सरकार ने गांवों के विकास के लिए बायो गैस को एक कारगर साधन के रूप में अपना लिया है। किसानों को बायोगैस लगाने के लिए प्रेरित किया

RN 708/57
P & T Redg. No D (DN) 98
Licenced under U (D)-55 to
post without pre-payment at Civil Lines Post Office, Delhi.

जा रहा है और उन्हें बैंकों से कर्ज भी दिलाया जा रहा है। सामूहिक बायो गैस संयंत्र स्थापित करने का काम भी तेजी से हो रहा है ताकि पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठे, घरों में खाना बने और कुटीर उद्योगों का विकास हो।

मार्च '82 में दिल्ली के पत्रकारों के एक दल ने बुलंदशहर जिले के कुछ गांवों में बायोगैस संयंत्र से बदलते हुए जन-जीवन को निकट से देखा। महानगरों में रहने वालों के लिए यह एक सुखद आश्चर्य था। इन गांवों में बायो गैस न केवल सफलता से काम कर रहे हैं, बल्कि दूसरे गांवों के लोग भी इनमें गहरी रुचि दिखा रहे है।

गुलावटी विकास खंड के छपरावत गांव में अब तक 42 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। सैदपुर में 42 और राजगढ़ी में 65 संयंत्र लग चुके हैं। जैनपुर गांव में सामूहिक रूप से एक बड़ा बायोगैस संयंत्र निर्माणाधीन है और गांव की गलियों में स्ट्रीट लाइट के खंबे लगाने का काम पूरा हो चुका है। आने वाले कुछ महीनों में गांव रोशनी से जगमगा उठेगा, आटे की चक्की चलने लगेगी। स्लज-खाद किसानों की उपज बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

बायो गैस संयंत्रों की स्थापना से रोशनी, खाना बनाने, चारा काटने, कंप्रेशन इंजन और पंपिंग सैट चलाने का काम बड़ी आसानी से हो रहा है। टायर-ट्यूब के पंचर लगाने का काम भी इससे हो रहा है। किसानों का अनुभव है कि बायोगैस की रोशनी में मच्छर पास नहीं फटकते हैं। सबसे बड़ी बात-बायोगैस लगाने वाले किसानों का सामाजिक स्तर भी बढ़ा है। किसान अपनी बेटियां उस गांव में ब्याहना पसंद करते हैं जिनमें बायोगैस लगे हों।

जिलाधिकारी श्री वी०एस० लाली ने बताया कि उ०प्र० का कृषि विभाग बायोगैस लगाने के लिए किसानों को सहायता और तकनीकी सहयोग प्रदान करता है। बैंकों से उन्हें कर्ज दिलाए जाते हैं।

बायो गैस से चारा कटाई मशीन चलाई जा रही है

बायोगैस संयंत्र 2 से 6 घनमीटर क्षमता के हैं। जिन पर 4 से 6 हजार रुपये तक लागत आती है। इन संयंत्रों की एक विशेषता यह है कि 30-40 वर्ष तक इनके विशेष रख-रखाव की जरूरत नहीं है। 4 घनमीटर क्षमता का संयंत्र एक छोटे परिवार की आवश्यकता पूरी करने में सक्षम है।

बायोगैस एक ऐसा वैकल्पिक स्रोत है जो जीवांश पदार्थों से उपलब्ध होता है। गोबर जीवांश का मुख्य स्रोत है और इसे बायोगैस डाइजेस्टर में सड़ा देने पर मीथेन गैस मिलती है तथा स्लरी के रूप में परिवर्तित गोबर खाद मिलती है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में गांवों के लिए बायोगैस का प्रमुख स्थान है।

यदि बायो गैस का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जाए, किसानों को प्रेरित किया जाए तो निस्संदेह इनसे गांवों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। गोबर का सही उपयोग हो सकेगा। जिन गांवों में बायोगैस लग चुके हैं, वे अपने विकास की कहानी स्वयं कह रहे हैं।

बायो गैस संयंत्र ने कचरे और गोबर की उपयोगिता को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। इस संयंत्र के लिए बहुत अधिक जगह की जरूरत भी तो नहीं है और न विशेष रखरखाव की। इसमें परंपरागत ईंधन की अपेक्षा 33 प्रतिशत अधिक उष्मा मिलती है। बायोगैस में 50 से 68 प्रतिशत तक मिथेन गैस, 25 से 33 प्रतिशत कार्बनडाईआक्साइड, 9 से 5 प्रतिशत हाइड्रोजन, 2 से 7 प्रतिशत नाइट्रोजन, 0.9 प्रतिशत आक्सीजन और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाईड होती है।

एक और विशेषता बायोगैस की है कि इससे आग लगने का खतरा भी नहीं होता क्योंकि यह गैस दबाव में ही जलती है। बरसात के दिनों में यह ज्यादा जल्दी तैयार हो जाती है। छपरावत गांव में तो कई किसानों ने अपने पड़ोसियों को भी कनेक्शन दे दिए हैं क्योंकि उनके पास उपयोग से भी ज्यादा मात्रा में बायोगस हो जाती है। □

देवेन्द्र उपाध्याय,
सी-7/315-बी लारेंस रोड,
दिल्ली-110035

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।